कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0 नि0 / दिनांकः–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बहादुरगंज

Spl. Sec.
O. S. D. (K)
25 FEB 2015

महाशय,

नगर पंचायत, बहादुरगंज के वर्ष 2010–11 से 12–13 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 617 / 13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

—ह0—

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14483 / 2228 दिनांक– 20.2.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, किशनगंज

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

(15)

नगर पंचायत, बहादुरगंज
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–617/13–14
(अवधि– 2010–11 से 2012–13)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, बहादुरगंज के वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 27.05.13 में 01.06.13 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्र0सं0	पदनाम	नाम	कार्यकाल
01.	अध्यक्ष	श्रीमती शबनम फिरदौशी	01.04.10 से 10.06.12
		श्री मुजतबा अनवर राही	11.06.12 से वर्त्तमान तक
02.	उपाध्यक्ष	मो0 तकसीर अहमद	01.04.10 से 10.06.12 तक
		श्रीमती मीरा बसाक	11.06.12 से वर्त्तमान तक
03.	कार्यापालक पदाधिकारी	श्री राकेश रंजन	01.04.10 से 04.05.10 तक
		श्री कलीमुद्धिन अहमद	05.05.10 से 13.09.11
		श्री विपुल कुमार	14.09.11 से वर्त्तमान तक

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र – लेखापरीक्षा में प्रस्तुत व नमूना जॉच किए गए दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट– 1 पर तथा लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत/असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –2 पर दी गई है।

4. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

कंडिका सं0	विवरण	राशि
17	शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर का अधिरोपण नही	–
18.	बस पड़ाव में बन्दोबस्ती में हानि	119806
19	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	666178
24	आयकर की कटौती नही	328000
28	योजनाओ में अग्रिम का समायोजन नही	1297000

5. पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

नगर पंचायत, बहादुरगंज द्वारा पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनुपालन प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदनो का अनुपालन नहीं होने से लेखापरीक्षा का उद्देश्य विफल हो जाता है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी को सुझाव है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए, जिससे लंबित कंडिकाओं का निस्तारण किया जा सके।

(150

6. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 97 में नगरपालिका लेखा के आंतरिक अंकेक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। नगर पंचायत के लेखों /अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा जॉच का प्रावधान नही किया गया।जिसके कारण अनेक प्रकार की त्रुटियॉ व अनियमितताएँ दृष्टिगोचार हुई जिन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

यदि उक्त जॉच की प्रक्रिया का पालन निश्चित अंतराल पर किया जाता तो इन त्रुटियों व अनियमितताओं को टाला जा सकता था।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था की जाय जिससे अनियमितताओं को टाला जा सकता है।

7. बजट

नगर निकायों के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82,83,84,85 एवं धारा 105 की उपधारा (2) में बजट प्राक्कलन तैयार करने हेतु तथा उसे पारित करने की प्रक्रिया दी गई है। साथ ही बजट तैयार करने हेतु सरकार द्वारा समय समय पर दिशा–निर्देश भी जारी किये जाते रहे है। इसी क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक– 862 दिनांक 21.02.08 द्वारा जारी निर्देश विस्तृत एवं उपयोगी है जिसका अनुपालन सभी नगर निकाय द्वारा किया जाना है।

परंतु नगर पंचायत द्वारा उपर्युक्त दिशा निर्देश का पालन नही किया गया। नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 व 2011– 12 का बजट नही बनाया गया। वर्ष 2012–13 का बजट ससमय वर्ष 2012–13 के पूर्व ही बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेना था लेकिन बजट को दिनांक 13.09.12 को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई थी लेकिन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नही था एवं दिनांक 13.09.12 को इसे राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ

1. वित्तीय वर्ष 2010–11 व 2011–12 का बजट नही बनाने के कारण वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में किया गया व्यय क्रमशः ₹5560271.00, ₹4815215.00 रू अप्राधिकृत था।

3. वर्ष 2012–13 के बजट और वास्तविक आय– व्यय में काफी अंतर पाया गया, जिसका विवरण निम्न है–

वर्ष	मद	अनुमानित	वास्तविक	अंतर	अंतर का प्रतिशत
2012–13	आय	19764101	23929626	4165525	21.08
	व्यय	1711592	13271265	11559673	675.37

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यय के आकलन में काफी भिन्नता थी।

कार्यालय का जवाबः–आगे से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बजट बनाया जायेगा।

अतः बजट वास्तविक आय एवं व्यय के अनुरूप बनाया जाय।

8. आय–व्यय

रोकड़ बहियों व अग्रिम पंजियों के अनुसार आय–व्यय निम्न था।

(i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में दर्ज प्रविष्टियो के अनुसार आय–व्यय निम्न है–

	2010–11	2011–12	2012–13
1. प्रारम्भिक शेष	4478147	4680286	5161731
2. प्राप्तियॉ			
1. अनुदान	2002139	3473774	2876576
2. ब्याज	–	–	–
3. कुल प्रविष्ट	6480286	8154060	8038307
4. व्यय			
1. योजना मद	1800000	2992329	3681869
2. अन्य	–	–	–
5. अंतशेष (3–4)	4680286	5161731	4356438

व्यवहृत बैक खाता :

1. सेंट्रल बैक ऑफ इंडिया, बहादुरगंज

एकाउंट नं0 – 2092447231

दिनांक – 26.02.13 को अवशेष – ₹2147285

2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहादुरगंज

एकाउंट न0 – 32677215238

दिनांक 31.12.12 को अवशेष – ₹2515363

लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ

1. पासबुक को अद्यतन कर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. रोकड़ बही में बैंक सूद की प्रविष्टि नहीं की गई थी।

3. आय– व्यय का विस्तृत सार नहीं बनाया गया।

आय–व्यय

(ii)(क) एकादश व द्वादश वित्त अनुदान

रोकड़ बही एवं अग्रिम पंजी में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार आय–व्यय निम्न है–

148

	2010–11	2011–12	2012–13
1. प्रारंभिक शेष	4066535	4066535	4066535
2. प्राप्ति (अनुदान)	–	–	–
3.कुल प्राप्ति	4066535	4066535	4066535
4. व्यय योजना मद	–	–	423276
5. अंतशेष	4066535	4066535	3643259

(ख) तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान

रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार आय–व्यय निम्न है–

	2010–11	2011–12	2012–13
1. प्रारंभिक शेष	शून्य	1100000	3503074
2. प्राप्ति(अनुदान)	1100000	2403074	2721000
3.कुल प्राप्ति	1100000	3503074	6224074
4. व्यय योजना मद	–	–	1653337
5. अंतशेष	1100000	3503074	4570737

लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ

1. एकादश, द्वादश व तेरहवीं वित आयोग अनुदान की रोकड़ बहियों को अलग– अलग संधारित नहीं किया गया था।

2. द्वादश वित्त आयोग की योजनाओ में (वर्ष 06–07 व 07–08) ₹665000 का अग्रिम लेखापरीक्षा अवधि तक असमायोजित था जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं किया गया था।

3. तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान के लिए अलग बैंक खाता खोला जाए।

4. रोकड़ बही में सूद की प्रविष्टि नहीं की गई थी।

5 एकादश वित्त आयोग की योजनाओ में ₹855000 की अग्रिम की प्रविष्टि रोकड बही में नहीं थी।

6. सूद का हानि –

तेरहवीं वित्त आयोग अुनदान के दिशा–निर्देश के अनुसार प्राप्त अनुदान को बैक में रखना था। परंतु इसे कोषागार खाता में रखा गया फलतः नगर पंचायत को अनुदान की राशि से होने वाली अर्जित ब्याज की हानि हुई।

(iii) विविध रोकड़ बही (स्वयं के स्त्रोत, कबीर अंत्येष्टि, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सबंधित)

	2010–11	2011–12	2012–13
1. प्रारंभिक शेष	1950712.27	1146433.27	1262751.27
2. प्राप्तियॉ			
1 स्वयं का स्त्रोत	555953.00	791905	1090520+ 98410
2. अनुदान			
क. कबीर अंत्येष्टि	162000.00	169500	1134000
ख राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	–	70000	230000
ग.नगर प्रबंधक का मानदेय	140000.00	–	–
03. वर्ष की कुल प्राप्ति	857953.00	1031405.27	2552930.00
04. कुल प्राप्ति (1+2)	2808665.27	2177838.27	3815681.27
05. व्यय			
01 स्थापना व विविध	89201.00	43512.00	95702.00
02. ईधन	5942.00	2556.00	3395.00
03 दैनिक मजदूरों का भुगतान	261774.00	252708.00	234378.00
04. मानदेय (कार्यालय कर्मी)	44400.00	22200.00	22105.00
05. कबीर अंत्योष्टि	54000.00	214500.00	522000
06. योजना	1206915.00	379611.00	–
7. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	–	–	280000
कुल	1662232.00	915087.00	1157579.00
6. अंतशेष (4–5)	1146433.27	1262751.29	2658102.27

लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ

1. रोकड़ बही मे बैंक से प्राप्त ब्याज राशि की प्रविष्टि नहीं की गई थी।

2. रोकड़ बही के पृष्ठ सं0 7 पर दिनांक 14.09.12 को व्यय ₹190 से कम दिखाया गया था। अतः दिनांक 31.03.13 को रोकड़ बही का अंतशेष ₹2658192.27 न होकर ₹2658102.27 होगा।

3. आय– व्यय का मासिक त्रैमासिक व वार्षिक सार नहीं बनाया गया था।

4. लेखापरीक्षा अवधि तक ₹104180 एवं ₹220000 क्रमशः स्थापना व निर्वाचन मद में अग्रिम था। जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं किया गया था।

5. पूर्ववर्ती योजनाओ में ₹3117500 का अग्रिम या जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं थी।

(iv) स्ववित्त पोषित

	2010–11	2011–12	2012–13
1 प्रारंभिक शेष	158564	158564	171964
2. प्राप्ति (दुकान निर्माण की राशि)	–	13400	–
3. कुल प्राप्ति (1+2)	158564	171964	171964
4 व्यय	–	–	–
5. अंतशेष	158564	171964	171964

(v) शिक्षा गारंटी केन्द्र (एफ0जी0एस0)

	2010–11	**2011–12**	**2012–13**
1. प्रारंभिक शेष	37104	37104	32904
2. वर्ष की प्राप्ति	–	–	–
3. कुल प्राप्ति	37104	37104	32904
4. व्यय	–	4200	–
5. अंतशेष	37104	32904	32904

(vi) बालिका समृद्धि योजना

	2010–11	**2011–12**	**2012–13**
प्रारंभिक शेष	25000	25000	25000
प्राप्ति	–	–	–
व्यय	–	–	–
अंतशेष	25000	25000	25000

(vii) गंदी बस्ती योजना

	2010–11	**2011–12**	**2012–13**
प्रारंभिक शेष	218421	218421	218421
प्राप्ति	–	–	–
व्यय	–	–	–
अंतशेष	218421	218421	218421

(viii) पार्षदों का भत्ता

	2010–11	2011–12	2012–13
प्रारंभिक शेष	85000	159400	40000
प्राप्ति अनुदान	74400	–	–
कुल प्राप्ति	159400	159400	40000
व्यय (भत्ता)	–	119400	–
अंतशेष	159400	40000	40000

(ix) जनगणना

	2010–11	2011–12	2012–13
प्रारंभिक शेष	914	914	382804
प्राप्ति(जनगणना)	192000	381890	8800
कुल प्राप्ति	192914	382804	391604
व्यय कार्य	192000	–	361500
अंतशेष	914	382804	30104.00

(x) होल्डिंग कर

	2010–11	2011–12	2012–13
1 प्रारंभिक शेष	456752	370061	618733
2 प्राप्ति (होल्डिग कर)	304624	327172	475913
3 कुल प्राप्ति	761376	697233	1094646
4 व्यय			
1. तहसीलदार का भुगतान	37331	78500	197976
2 वेतन	353984	–	–
कुल	391315	78500	197976
5. अंतशेष	370061	618733	896670

(xi) वेतन

	2010–11	2011–12	2012–13
1. प्रारंभिक शेष	1466889	2197080	1491381
2. प्राप्ति (अनुदान)	2142048	–	–
3 कुल प्राप्ति	3608937	2197080	1491381
4. व्यय (वेतन भुगतान)	1514724	705699	691228
5. अंतशेष	2197080	1491381	800153

(xii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अनुदान

	2012–13
1. प्रारम्भिक शेष	–
2. प्राप्ति (अनुदान)	8447207
3. कुल प्राप्ति	8447207
5. व्यय	–
6. अंतशेष	8447207

(xiii) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)

रोकड़ बही एवं अग्रिम पंजी प्रविष्टियों के अनुसार आय–व्यय निम्न प्रकार है।

प्रारम्भिक शेष	2010–11	2011–12	2012–13
1. U.W.E.P	73442	73442	73442
2. वेज घटक	1419	1419	1419
3. सब्सिडी	186	186	186
4. प्रशिक्षण	–	–	–
5. प्रशासनिक व्यय	42087	42087	42087
6. सुदृढीकरण	44223	44223	44223
7 U.S.E.P	2592	2592	2592
8. इनफ्रास्ट्रक्चर	–	–	–
9. सामुदायिक संरचना	62165	62165	62165
10. थ्रीफ्ट एवं क्रेडिट	–	–	–
कुल	226114	226114	226114
2. प्राप्तियॉ	–	–	3000000
3. कुल प्राप्त (1+2)	226114	226114	3226114
4. व्यय	–	–	1200000
5. अंतशेष (3–4)	226114	226114	2026114

लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार प्राप्त अनुदान की राशि को एक अलग बैंक खाता में रखना था। परंतु कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

2. प्राप्त अनुदान राशि ₹3000000 पर बैक में अर्जित ब्याज की गणना कर व राशि ₹1200000 की निकासी के पश्चात अवशेष राशि पर ब्याज गणना कर अनुदान राशि सहित कुल राशि को स्थानांतरित कर अलग बैंक खाता में रखा जाए व लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाए।

9. रोकड़ बहियों व बैंक में अंतशेष राशि

नगर पंचायत द्वारा विभिन्न मदो के लिए अलग– अलग रोकड़ बही संधारित किया गया था। जिनके लिए एक सामान्य रोकड़ बही संधारित किया गया था। जिनमें दिनांक 31.03.13 को ₹30504662.27 था लेकिन

विविध रोकड़ बही में दिनांक 14.09.12 को व्यय 90 से कम दिखाया गया था। अतः दिनांक 31.03.13 को सामान्य रोकड़ बही का अंतशेष ₹30504572.27 होगा।

पुनः वर्ष 2010–11 के पूर्व योजनाओ और स्थापना मद में निम्न अग्रिम था जिसकी प्रविष्टि रोकड़ में नहीं थी।

मद	राशि
11th FC	855000
12th FC	665000
SJSRY	538500
विविध	3117500
NSDP	167500
स्थापना	104180
कुल	5447680

एवं वर्ष 2010–11 से वर्ष 2012–13 की अवधि में निम्न अग्रिम था जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं थी।

मद	राशि	अभ्युक्ति
निर्वाचन	220000	विविध रोकड बही में
जनगणना	361500	जनगणना रोकड़ बही में
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	3323000	रोकड़ बही संधारित नहीं
	3904500	

परंतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्राप्त राशि व व्यय के लिए रोकड़ बही अद्यतन संधारित नहीं थी एवं व्यय की प्रविष्टि नहीं की गई थी। कोषागार आवंटन एवं व्यय पंजी के अनुसार इस मद में ₹3847200 का आवंटन प्राप्त हुआ था एवं इस मद में ₹3323000 का असमायोजित अग्रिम था।

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

1. दिनांक 31.03.13 को बैक खाता (कोषागार सहित) एवं रोकड़ बहियों के अंतशेषों के अंतर ₹2317824.95 (₹27317418.22– ₹24999593.27) का समाधान विवरणी अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।
2. रोकड बही में सूद की प्रविष्टि नहीं की गई थी।
3. सामान्य रोकड़ बही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि की प्रविष्टि नहीं की गई थी।
4. बिहार लेखा नियमावली 1925 के अुनसार रोकड़ बही को मासिक बंद करना था किन्तु नगर पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पुनः अग्रिम की प्रविष्टि भी रोकड़ बही में नहीं की गयी।

विवरणी परिशिष्ट –3 पर संलग्न

142

10. सरकारी अनुदान

नगर पंचायत द्वारा न तो अनुदान पंजी और न ही अनुदान विनियोग पंजी संधारित किया गया था। फलतः अनुदान प्राप्ति व व्यय की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। फिर भी विभिन्न रोकड़ बहियों में दर्ज अनुदान राशि की प्रविष्टियों के अनुसार नगर पंचायत को वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि में कुल ₹30728408 (5812587+ 649823+ 18417583) अनुदान प्राप्त हुआ था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–4 पर)

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

1. प्राप्त अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।
2. अनुदान पंजी का विधिवत संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

11. तेरहवीं वित्त आयोग

नगर पंचायत, बहादुरगंज को सरकार से तेरहवी वित्त आयोग से निम्न अनुदान प्राप्त हुआ था–

क्र0सं0	न0वि0 एवं आ0वि0, बिहार, पटना का पत्रांक तथा तिथि	राशि
1.	पत्रांक 95 दिनांक 17.08.10	1100000.00
2.	पत्रांक 186 दिनांक 30.03.11	1100000.00
3.	पत्रांक 187 दिनांक 30.03.11	3074.00 (सूद की राशि)
4.	पत्रांक 21 दिनांक 04.08.11	1200000.00
5.	पत्रांक 24 दिनांक 23.08.11	100000.00
6.	पत्रांक 01 दिनांक 04.04.12	863000.00
7.	पत्रांक 20 दिनांक 19.07.12	1409000.00
8.	पत्रांक 36 दिनांक 31.08.12	449000.00
	कुल –	6224074.00

सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर तथा शेष 50 प्रतिशत राशि पाईप जलापूर्ति, सड़को में प्रकाश व्यवस्था, पेयजल पर उपयोग किए बिजली के बिल तथा रैन बसेरा/ओल्ड एज होम के निर्माण तथा रख रखाव पर व्यय करना था।

ऊपरलिखित अनुसार कुल अुनदान का मदवार अनुदान निम्न है।

50% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	₹3112037.00
50% अन्य मद	₹3112037.00

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में व्यय नहीं किया गया तथा वर्ष 2012–13 मं कुल राशि ₹1687864.00 का व्यय केवल सड़क निर्माण पर किया गया था। जो सरकार के दिशा–निर्देश के विपरीत था।

अंकेक्षण आपत्ति

1. सरकार द्वारा तेरहवी वित्त आयोग के स्वीकृत पत्र की कंडिका (ख) पर नगर निकायों द्वारा व्यय के लिए जो शर्त दिया गया था, उसमें सड़क निर्माण पर व्यय निषिद्ध था।

लेकिन नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2012–13 में कुल 12 योजनाओं सड़क निर्माण पी0सी0सी0 तथा ब्रिक सोलिंग से संबंधित किया गया था एवं ₹1687864.00 का व्यय किया गया था। जो सरकार के दिशा–निर्देश के विपरीत था तथा व्यय की गई राशि ₹1687864.00 अनियमित था।

सरकार के दिशा–निर्देश के उल्लंघन को स्पष्ट करने तक व्यय की गई राशि ₹1684864.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

2. राशि व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

3. राशि व्ययगत हो जाना (₹ 13.32 लाख)

नगर पंचायत, बहुदरगंज को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 58 द्वारा दिनांक 13.03.12 को तेरहवीं वित्त आयोग से ₹13.32 लाख अनुदान का आवंटन आदेश प्राप्त हुआ था। नगर पंचायत द्वारा दिनांक 23.03.12 को बिल सं0 07/2011–12 द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के लिए जिला पदाधिकारी किशनगंज को भेजा गया था एवं जिला पदाधिकारी द्वारा 30.03.12 को प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया था। तथा दिनांक 30.03.12 को कोषागार में जमा किया गया था। लेकिन दिनांक 31.03.2012(12:55 PM) पर राशि निकासी पर रोक लगा दी गई।

राशि प्राप्ति के लिए राज्य सरकार से अनुरोध नहीं किया गया है।

राशि व्ययगत होने से नगर पंचायत को विकास कार्य से वंचित रखा गया। अतः राशि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जाय।

12(i) अनुदान का अवरोधन

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इस कारण अनुदान का प्रारंभिक अवशेष वर्ष में प्राप्त अनुदान व्यय तथा अंतशेष ज्ञात नहीं किया जा सका। सहायक रोकड़ बही के अुनसार निम्न अनुदान कार्यो के अव्यवहृत थी। विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	मद का नाम	राशि
01.	बालिका समृद्धि योजना	25000.00
02.	जनगणना	914.00
03	E.Governance	37104.00
04.	गंदी बस्ती योजना	218421.00
05.	ट्रैक्टर क्रय की राशि	33649.00
06	नगर प्रबंधक का मानदेय	140000.00
	कुल	455088.00

140

क्र0सं0 1 से 4 तक की राशि वर्ष 2010–11 से अभी तक व्यय नहीं किया गया था। तथा यह योजना बंद हो चुकी है। अतः इस राशि को सरकार को वापस करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था।

पुनः न0वि0 एवं आ0वि0, बिहार, पटना के पत्रांक– 6243 दिनांक 03.11.10 द्वारा ₹140000.00 नगर प्रबंधक के मानदेय के लिए प्राप्त हुआ था। नगर पंचायत में नगर प्रबंधक की बहाली नहीं हुई है। इस राशि को सरकार को वापस करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था।

12(ii) एकादश तथा द्वादश वित्त आयोग का अनुदान ₹44982591/– का अव्यवहृत/अवरोधन करना

एकादश तथा द्वादश वित्त आयोग के सहायक रोकड़ बही के अनुसार एकादश तथा द्वादश वित्त आयोग के अनुदान की स्थिति निम्न थी–

	2010'–11	2011–12	2012–13
प्रा0 अवशेष	4921515.00	4921515.00	4921515.00
व्यय	–	–	423276'.00
अवशेष	4921515.00	4921515.00	4498259.00

ऊपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2013 को अवशेष राशि ₹4498259.00 थी। एकादश वित्त वर्षो पूर्व बंद हो चुकी है तथा द्वादश वित आयोग वर्ष 2010–11 से बंद हो चुकी है। लेकिन नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2010–11तथा 2011–12 में इस मद से व्यय नहीं किया गया।

सरकार से प्राप्त द्वादश वित्त आयोग की राशि में से 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 3% E.governance, 1% नगर प्रबंधक की क्षमता में वृद्धि तथा 46% नागरिक सुविधा पर व्यय करना था लेकिन व्यय वर्ष 2012–13 में नागरिक सुविधा पर किया गया था। अन्य मद पर व्यय नहीं किया गया था। राशि व्यय नहीं करने से नगर पंचायत क्षेत्र की जनता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सकी एवं अनुदान का उद्देश्य विफल रहा।

13. समाजिक सुरक्षा पेंशन

कार्यालय के लेखा अभिलेखो यथा सामान्य रोकड़ बही कोषागार आवंटन एवं व्यय पंजी पासबुक इत्यादि के जॉच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में कार्यालय को कुल ₹3847200 का अनुदान प्राप्त हुआ था। जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं किया गया था एवं इस रोकड़ बही के आवंटन व्यय की प्रविष्टि सामान्य रोकड़ बही में नहीं किया गया था। इस मद में ₹3323000 का अग्रिम पंजी में था जिसका समायोजन लेखापरीक्षा अवधि तक नहीं किया गया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट –5 पर संलग्न)

14. स्वीकृत बल व कार्यरत बल

नगर पंचायत में स्वीकृत बल व कार्यरत बल की स्थिति निम्न प्रकार थी–

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त पदों की सं0
01	प्रधान सहायक सह लेखापाल	01	0	01
02.	टैक्स दरोगा	01	1	0
03	सफाई जमादार	01	01	0
04	आदेश पाल	01	01	0
05	मेहतर /मेहतरानी	05	2	3
	कुल	9	5	4

अतः उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत में स्वीकृत बल की अपेक्षा कार्यरत बल कम है। अतः कार्यपालक पदाधिकारी को सुझाव है कि इस संबंध में रिक्त पदो को भरने के लिए सरकार को पत्र लिखा जाए जिससे नगर पंचायत का कार्यालय सुचारू रूप से चल सके।

15. कम जमा /नहीं जमा (₹ 3779550)

गृहकर रसीदों दैनिक संग्रह पंजी व रोकड़ बहियो की जॉच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों को एवं कर दरोगा द्वारा कुल ₹544555 वसूली के विरूद्ध मात्र ₹166600 नगर परिषद निधि में जमा किया गया था एवं राशि ₹377955 कम जमा था।

अंकेक्षण आपत्तियो के आलोक में अंकेक्षण के दौरान कुल ₹86555 जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कराया गया , जिसका जमा बैंक पास बुक में देखा गया एवं राशि ₹291400 (377955– 86555) जिम्मेवार व्यक्तियो से वसूलनीय है।

अतः राशि ₹291400 की वसूली यथाशीघ्र जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत निधि में जमा कराकर अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायं।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– 6 पर संलग्न)

16. गृहकर में विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के दिशा–निर्देश के ज्ञापांक सं0 3533 दिनांक 27.08.09 धारा 127(3) के अुनसार समय पर गृहकर नहीं जमा करने पर प्रतिमाह 2 प्रतिशत की दर से विलंब शुल्क वसूलने का निर्देश नगर निकायों को दिया गया था। लेकिन इस दिशा–निर्देश के विपरीत नगर पंचायत द्वारा विलंब शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में कुछ गृह कर रसीदों की नमूना जॉच की गई, जिनमें राशि 144831 रू विलंब शुल्क के रूप में नहीं ली गई थी।

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–7 पर संलग्न है।

अतः राशि ₹144831 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर निधि में जमा कराया जाय एवं इसी तरह के अन्य मामलों की जॉच नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर से कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

17. शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपस्कर का अधिरोपण नहीं

नगर पंचायत द्वारा कर वसूली का मांग तथा कर निर्धारण पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था। संबंधित कर दारोगा से मॉग एवं वसूली एवं बकाया कर विवरणी देने को कहा गया था। लेकिन उन के द्वारा यह प्रस्तुत नहीं किया गया था। परंतु गृह कर के रोकड़ बही तथा पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अुनसार वर्ष 2006–07 से 2012–13 तक कुल ₹3142244.00 के गृह कर की वसूली की गई थी। विवरणी निम्न है–

1. पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 542/10–11	वर्ष 2006–07 से 2009–10	गृहकर की राशि 1656580.00
02	2010–11	304624.00
03.	2011–12	327172.00
04.	2012–13	475955.00
वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक गृहकर की जमा नहीं की गयी राशि		377955.00
		3142244.00

नगर पंचायत द्वारा सिर्फ गृह कर की वसूली की जा रही थी जबकि लैट्रिन टैक्स तथा शिक्षा एवं स्वास्थय उपस्कर की वसूली नहीं की जा रही थी। जबकि बिहार सरकार द्वारा बिहार प्राथमिक शिक्षा नियम 1959 तथा बिहार स्वास्थ्य केयर निगम 1972 के अंतर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर की वसूली का दायित्व नगर निकाय को दिया गया था तथा वसूली की गई राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा काटकर शेष राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करना था। पुनः 1982 (01.04.1982) से भी शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपस्कर की वसूली गृह कर का 50 प्रतिशत करना था। नगर पंचायत द्वारा उपकर की राशि की वसूली वर्षों से नहीं की जा रही थी। जिससे सरकार को राजस्व की हानि प्रतिवर्ष हो रही थी। वर्ष 2006–07 से 2012–13 तक कुल गृह कर की राशि ₹3142244.00 की वसूली की गई थी।

इस अवधि में शिक्षा उपकर ₹1571122.00 (₹3142244.00 का 50%) तथा स्वास्थ्य उपकर ₹1571122.00 (₹3142244.00) की वसूली नहीं की गयी थी, जिससे कुल ₹3142244.00 के राजस्व की हानि हुई।

इसी प्रकार खतरनाक एवं भयावह व्यवसाय की भी वसूली नहीं की जा रही थी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि शिक्षा तथ स्वास्थ्य उपस्कर का अधिरोपण यथाशीघ्र किया जाए।

18. बस पड़ाव की बन्दोबस्ती

सैरात पंजी व सैरातों की संचिकाएँ लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की गईं वर्ष 2010–11, 2011–12 व 2012–13 के लिए की गई बन्दोबस्ती की नमूना जॉच की गई, जिनका विवरण निम्न है–

वर्ष	सुरक्षित जमा राशि	डाक की राशि	वसूल की गई राशि	अभ्युक्ति
2010–11	488000	619100	619100	–
2011–12	619100	620100	620100	–
2012–13	527085	529000	529000	बन्दोवस्ती 9 माह के लिए जुलाई 12 से मार्च तक तथा अप्रैल 12 से जून 12 तक विभागीय वसूली राशि– 155025

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– 2 रा0 दिनांक 08.01.82 के अनुसार सैरातो की सुरक्षित जमा राशि तीन वर्षो पर निर्धारित की जायेगी जिसमे विगत वर्ष की सुरक्षित जमा राशि या बंदोबस्ती राशि जो भी अधिक है उस में 15% की वृद्धि की जायेगी। इन निर्देशों को पुनः पत्रांक 14/शै–07–0–11/97–612– रा दिनांक 18.09.97 द्वारा जारी किया गया।

परंतु नगर पंचायत कार्यालय द्वारा इन दिशा निर्देशों का ध्यान नहीं रखा गया। वर्ष 2008–09 में इन निर्देशों के आधार पर बस स्टैंड की सुरक्षित जमा राशि ₹405751 निर्धारित की गई थी। परंतु 3 वर्ष बीत जाने के उपरांत वर्ष 2011–12 में पुनः 3 वर्षो के लिए सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए था। जो नहीं किया गया विवरण निम्न है–

वर्ष	सुरक्षित जमा राशि	डाक की राशि
2008–09	405751	280100
2009–10	280100	488000
2010–11	488000	619100

पिछले 3 वर्षो के औसत में 15 प्रतिशत वृद्धि के उपरांत सुरक्षित जमा राशि

= 280100+ 488000+ 619100/3×115% =₹ 531760

पिछले वर्ष (2010–11) में हुई डाक की राशि में 15% वृद्धि के उपरांत सुरक्षित जमा राशि – 619100×115%

= ₹711965

अतः बंदोबस्ती नियम के अनुसार वर्ष 2011–12 के लिए बस पड़ाव की सुरक्षित जमा राशि ₹531760 व ₹711965 में से अधिकतम राशि ₹711965 सुरक्षित जमा राशि के रूप में नियत किया जाना चाहिए था, परंतु नगर पंचायत कार्यालय द्वारा वर्ष 2010–11 में हुई डाक की राशि ₹619100 को ही वर्ष 2011–12 के लिए सुरक्षित जमा राशि निर्धारित किया गया एवं इस वर्ष ₹620100 में डाक हुई।

इस प्रकार वर्ष 2011–12 के बंदोबस्ती में नगर पंचायत के द्वारा सरकार के दिशा निर्देश के उल्लंघन के कारण न्यूनतम ₹91865 (711965– 620100) के राजस्व का नुकसान हुआ ।

पुनः सुरक्षित जमा राशि ₹711965 तीन वर्षों 2011–12 , 2012–13 व 2013–14 के लिए होता। वर्ष 2012–13 में प्रारंभ के तीन महीना अप्रैल मई व जून मे विभागीय वसूली राशि ₹155025 का किया गया एवं अगले 9 महीनों के लिए कार्यालय के ज्ञापांक 14 दिनांक 23.06.12 द्वारा निविदा निकाला गया और इस सैरात की बन्दोबस्ती 9 महीनों के लिए राशि ₹529000 से सर्वोच्च डाक वक्ता मो मसकुर आलम पिता तसलीम अहमद के साथ किया गया ।

परंतु इस सैरात की बंदोबस्ती 9 महीनो के लिए न्यूनतम राशि ₹533974 (711965 / 12×9) मे न कर राशि ₹529000 में किया गया , जिससे नगर पंचायत को ₹4974 (533974– 529000) के राजस्व की क्षति हुई पुनः प्रारंभ के तीन महीनो में विभागीय वसूली श्री अनवर आलम आदेशपाल द्वारा कार्यालय के पत्रांक– 56 दिनांक 28.02.13 द्वारा ₹155025 किया गया जो न्यूनतम वसूली ₹177992 (711965 / 12×3) से ₹22967 कम था।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि अप्रैल 12 से जून 12 तक विभागीय वसूली की राशि सुरक्षित जमा राशि से घटाकर रखी गयी है। जवाब मान्य नहीं है।

अतः ₹119806 (91865+ 4974+ 22967) की हानि की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

19. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। लेकिन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के सहायक रोकड़ बही तथा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.– 542 / 19–11 के अनुसार एसजेएसआरवाई के विभिन्न घटकों में निम्न राशि दिनांक 11.04.10 को अवशेष था।

क्र0सं0	घटक का नाम	राशि
01	wage component	1419.00
02	Grant	186.00
03	administrative expenditure	42087.00
04.	Strengthening of Local body	44223.00
05.	USEP	2592.00
06	UWEP	73442.00
07	community structure	62165.00
	कुल	226094.00

पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 1113 दिनांक 31.10.12 द्वारा ₹30.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था तथा उस निम्न घटक में राशि दिये गये प्रतिशत मार्गदर्शिका के अनुसार कर्णांकित करना था।

क्र0सं0	मद का नाम	प्रतिशत	राशि
01	शहरी गरीबो के बीच रोजगार बढाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP)%	40%	1200000.00
02.	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)	20%	600000.00
03.	शहरी महिलाओ एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP)	20%	600000.00
04.	शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN)	10%	300000.00
05	शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम	10%	300000.00
		कुल	3000000.00

नोटसीट के अनुसार सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिलाने का आवेदन पत्र दिया गया है। लेकिन पत्र संचिका में नहीं था।

आवेदन पत्र पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अनेक जगह प्रशिक्षण दनेवाली संस्था दारोगा प्र0 राय महिला प्रशिक्षण एवं औधोगिक केंद्र, पटना को अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण के लिये चयनित किया जाता है जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 05.10.12 को दिया गया था। संस्था को 160 लाभुकों को कम्पयूटर प्रशिक्षण तथा 160 लाभुको को फैशन डिजाईनिंग का प्रशिक्षण देने का कार्यादेश नगर पंचायत के ज्ञापांक– 287 दिनांक 08.11.2012 द्वारा दिया गया था। संस्था द्वारा एकरारनामा दिनांक 05.10.12 को किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा एसजेएसआरवाई के STEPUP के दिशा–निर्देश के अनुसार निम्न शर्तें मुख्य थी।

पारा– 6.2 30 प्रतिशत महिला लाभार्थी एस/एसटी के लिए अपनी सं0 के अनुपात 3 प्रतिशत विभिन्न योग्यता रखने वाले तथा 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक समूदाय के लिए प्रशिक्षण मे लक्ष्य निर्धारित करना होगा।

पारा 6.3 – निर्माण क्षेत्र में जैसे बढ़ईगीरी, वैद्युत तथा स्थानीय सामग्री का प्रयोग करते हुए बेहतर व प्रभावी प्रौद्योगिक आधारित कम लागत वाली सामग्री तैयार करने जैसे सेवा क्षेत्रो के महत्वपूर्ण घटकों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

पारा 6.5– प्रशिक्षण हेतु औसत इकाई लागत 10000/ प्रति प्रशिक्षणार्थी से अधिक नहीं होगी। जिसमें मैटिरियल लागत प्रशिक्षण टुलकिट लागत, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वहन किये जाने वाले अन्य विविध खर्च तथा प्रशिक्षणार्थी को दिया जाने वाला मासिक वजीफा शामिल है।

पारा 11.11 के (5) कार्यान्वयन एजेंसी को सामान्यतः 40:40:20 के अुनपात में तीन किश्तों में धनराशि जारी की जानी चाहिए।

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक– 927 दिनांक 06.09.12 द्वारा कम्प्यूटर तथा फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण के लिए ₹6000 से ₹7000 की राशि निर्धारित की गई थी।

नगर पंचायत के पत्रांक– 313 दिनांक 11.12.12 को संबंधित संस्था को ₹6500.00 प्रति (320 प्रशिक्षणार्थी) जिसमें टुल किट्स की राशि नहीं जोड़ी गई थी, का आदेश दिया गया था।

संस्था द्वारा (तिथि अंकित नहीं) 40 प्रतिशत अग्रिम की मॉग की गयी थी। लेकिन राशि कितनी चाहिए यह अंकित नहीं था। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिनांक 03.10.12 को नाजीर को यह निर्देश दिया गया कि आवंटन प्राप्त है, संचिका उपस्थपित करे। उसके पश्चात कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा ही ₹6800/ प्रति प्रशिक्षणार्थी दर निर्धारित किया गया था। इसके पश्चात संस्था को ₹8.00 लाख अग्रिम चेक सं.– 023177 दिनांक 11.12.12 द्वारा दिया गया था। पुनः संस्था द्वारा 06.02.2013 को द्वितीय किस्त की मॉग की गयी थी। लेकिन राशि की रकम नहीं अंकित थी। संस्था को ₹4.00 लाख अग्रिम चेक सं. 000474 दिनांक 23. 03.2013 दिया गया था।

संस्था द्वारा अपने पत्रांक 41/13 दिनांक 13.03.2013 को नगर पंचायंत द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत कराने के आलोक में बताया गया कि प्रशिक्षणार्थी को नियमित तथा निर्धारित तिथि को परीक्षा का आयोजन कर परीक्षाफल प्रकाशित कर उन्हे प्रमाण –पत्र दिया जायेगा।

संस्था द्वारा दिनांक 06.02.2013 को कार्यपालक पदाधिकारी को सूचित किया गया कि ₹464000.00 का कंप्यूटर का टुल एवं किटस खरीद कर 160 प्रशिक्षणार्थियों में वितरित कर दिया गया था। कम्प्यूटर टुल एवं किटस का सिर्फ मनी रसीद लगाया गया था। जिसमें सिर्फ 160 किटस एवं 160 टुल्स लिखा गया था। मनी रसीद पर कटींग भी था। जो हस्ताक्षरित नहीं था।

अंकेक्षण आपत्ति –

1. नगर पंचायत को एसजेएसआरवाई के प्रशिक्षण मद में पूर्व से अवशेष राशि नहीं थी तथा सरकार से 31.10.12 को प्रशिक्षण मद (STEPUP) में ₹1200000.00 प्राप्त हुआ था। लेकिन संस्था द्वारा 05.10.12 का ही आवेदन पत्र दिया गया था तथा उसी दिन एकरारनामा किया गया था। तथा कार्यादेश 240 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का आदेश ज्ञापांक 246 दिनांक 05.10.12 द्वारा निर्गत किया गया था। बिना आवंटन के प्रशिक्षण कार्य शुरू करने का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करे।

2. संबंधित संस्था को कार्य देने के लिए बोर्ड/स्थाई समिति से अनुमोदन नहीं प्राप्त किया गया था। तथा रू 12.00 लाख अग्रिम दिया गया था। लेकिन भुगतान के लिए अध्यक्ष से अनुमोदन नहीं लिया गया था। जो बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 की धारा 30 का उल्लंघन था। इसका कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करे।

3. कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹6800.00 दर किस आधार पर बनाया गया था जबकि संस्था द्वारा प्रति प्रशिक्षणार्थी दर के संबंध मे तय कर अनुमानित व्यय की विवरणी नहीं दी गयी थी। नगर पंचायत द्वारा दर को अपने स्तर से निर्धारण करने का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करें।

4. दिनांक 08.11.12 के कार्यादेश में 240 प्रशिक्षणार्थियों की जगह 320 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण कार्य का कार्यादेश निर्गत किया गया था तथा ₹6800/ प्रशिक्षणार्थी से ₹2176000/– तथा टुल्स एवं किटस के लिए ₹464000.00 कुल राशि ₹2640000.00 व्यय करना था, जबकि सरकार से प्रशिक्षण मद में ₹12.00

लाख प्राप्त हुआ था। अवशेष राशि ₹14.40 लाख नगर पंचायत किस मद से व्यय करना होगा यह अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करे।

5. पूर्व की अवशेष राशि ₹226094.00 तथा USEP, UWSP, UWEP, UCDN की राशि अभी तक व्यय नहीं करने का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करे।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले अंकेक्षण में यथाशीघ्र प्रस्तुत करे।

7. केंद्र सरकार के दिशा–निर्देश के पारा 11.11(v) के अनुसार संस्था को 40:40:20 में राशि जारी करना था अर्थात इन्हें क्रमशः ₹4.80 लाख, ₹4.80 लाख तथा ₹2.40 लाख देना था। लेकिन इस दिशा–निर्देश के विपरीत नगर पंचायत द्वारा 11.12.12 को ₹8.00 लाख तथा 06.02.13 को ₹4.00 लाख दिया गया था। सरकार के दिशा–निर्देश के उल्लंघन का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करे।

8. संस्था द्वारा ₹819249.00 का विपत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 23.03.13 को ₹8.00 लाख का अभिश्रव पारित किया गया था जिसमें निम्न त्रुटियॉ थी।

A. संस्था द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए जिस प्रशिक्षक का नाम दिया गया था। उसको भुगतान नहीं कर दूसरे को भुगतान किया गया था।संस्था द्वारा नामित प्रशिक्षक का विवरण निम्न है:–

क0सं0	संस्था द्वारा नामित प्रशिक्षक	व्यवसाय	स्वीकृत राशि
1	मो0 तहजीब आलम	कम्प्यूटर	6000 से 7000
2	जावेद अनवर	तथैव	तथैव
3	रेहाना खातुन	फैशन डिजाइनिंग	तथैव
4	खुश्बु बेगम	तथैव	तथैव
5	फरजान अंजुम	कम्प्यूटर	तथैव
6	मासूम अख्तर	तथैव	तथैव
7	चॉद रहमानी	फैशन डिजाइनिंग	तथैव
8	पुनम दास	तथैव	तथैव

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा उक्त प्रशिक्षकों को भुगतान न कर दूसरे प्रशिक्षकों को भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न है:–

क्र0 सं0	प्रशिक्षक का नाम	माह	राशि
01	जेबा नाज, खुशनुमा बेगम, सगुफ्ता बेगम, नॉशेज बेगम (फैशन)	अक्टूबर 12	24000.00 (6000 / प्रशिक्षक)
02	प्रकाश कुमार मिश्रा विनय कुमार (कम्पूटर)	,,	16000.00
03	तथैव	नवबंर तथा दिसंबर 12	32000.00
04	क्र0 1 के अनुसार	तथैव	48000.00
05	क्र0 1 के अनुसार	जनवरी तथा फरवरी 13	48000.00
06	क्र0 2 के अनुसार	,,	32000.00
			200000.00

बिना प्रशिक्षक के नाम पर इनका भुगतान ₹2.00 लाख अनियमित था।

B. कम्प्यूटर प्रशिक्षक को अधिक भुगतान :–

अभिश्रव के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कम्प्यूटर प्रशिक्षक ₹6000.00 प्रतिमाह दिया गया था। लेकिन बाद में कुछ प्रशिक्षक को ₹8000/ की दर से भुगतान किया गया था, विवरण निम्न है–

क्र0 सं0	प्रशिक्षक का नाम	वास्तविक भुगतान की गई	भुगतेय 6000/प्रति प्रशिक्षण	अधिक भुगतान
01.	फरजान अंजुम तथा मासुम अख्तर (अक्टूबर 12)	16000.00	12000.00	4000.00
02.	तथैव (नवंबर 12 तथा दिसंबर 12)	32000.00	24000.00	8000.00
03.	तथैव (जनवरी तथा फरवरी 13)	32000.00	24000.00	8000.00
		80000.00	60000.00	20000.00

इस प्रकार ₹20000/– का अधिक भुगतान किया गया, जो वसूलनीय है।

संस्था द्वारा केवल दो स्थान चयनित किया गया था, जबकि मकान किराया चार स्थानों के लिये दिया गया था। अतः दो स्थानों का किराया वसूली अनियमित था। विवरण निम्न है–

1. फैशन डिजाईनिंग – 6×6000.00	36000.00
2 कंप्यूटर प्रशिक्षण – 6×3000.00	18000.00
कुल	54000.00

अतः ₹96000 (150000– 54000) का मकान किराया अनियमित था।

C. संस्था द्वारा मनोज कुमार का प्रशिक्षण देख–रेख हेतु प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था तथा इन्हें किये गये भुगतान का विवरण इस प्रकार है:–

क्र0सं0	माह	राशि (₹)
1	अक्टूबर, 2013	10000.00
2	नवम्बर, 2012	10000.00
3	दिसम्बर, 2012	10000.00
4	जनवरी एवं फरवरी, 2012	20000.00
	कुल	50000.00

संचिका अवलोकन से ज्ञात हुआ कि श्री मनोज कुमार द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने का आवेदन दिया गया था। श्री मनोज कुमार को संस्था द्वारा प्रोजेक्ट की ऑर्डिनेट प्राधिकृत करने के संबंध में साक्ष्य अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः राशि ₹50000.00 का व्यय अनियमित था।

D. मकान किराया

क्र0सं0	मकान मालिक का नाम	प्रशिक्षण	माह	राशि(₹)
1	मो0 रेयान आलम	फैशन डिजाइनिंग	अंकित नहीं	6000.00
2	मो0 मुजीब	फैशन डिजाइनिंग	अंकित नहीं	6000.00
3	मुस्फीक आलम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	अंकित नहीं	10000.00
4	सदरूद्दीन	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	अंकित नहीं	3000.00
5	मुस्फीक आलम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	अंकित नहीं	10000.00
6	मो0 रेहान आलम	फैशन डिजाइनिंग	अंकित नहीं	6000.00
7	मो0 मुजीब	फैशन डिजाइनिंग	अंकित नहीं	6000.00
8	सदरूद्दीन	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	अंकित नहीं	3000.00
9	मो0 रेहान आलम	फैशन डिजाइनिंग	अंकित नहीं	24000.00
10	मो0 मुजीब	फैशन डिजाइनिंग	अंकित नहीं	24000.00
11	मुस्फीक आलम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	अंकित नहीं	40000.00
12	सदरूद्दीन	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	अंकित नहीं	12000.00
			कुल	150000.00

E. संस्था द्वारा कच्चे माल की खरीद सारण तथा पटना से किया गया था। विवरण निम्न है–

क्र0सं0	तिथि	राशि	संबंधित फर्म का नाम एवं स्थान	अभियुक्ति
01	15.10.12	5004.00	हिना स्टोर, पटना	अभिश्रव पर क्रम प्रिंटेड नहीं है
02.	15.10.12	25000.00	पप्पु वस्त्र निकेतन छपरा	,,
03	15.10.12	5006.00	हिना स्टोर , पटना	,,
04	15.10.12	25000.00	पप्पु वस्त्र निकेतन छपरा	,,
05.	10.11.12	5075.00	हिना स्टोर , पटना	,,
06.	10.11.12	25000.00	पप्पु वस्त्र निकेतन छपरा	,,
07.	10.11.12	5075.00	हिना स्टोर , पटना	,,
08.	10.11.12	25004.00	पप्पु वस्त्र निकेतन छपरा	,,
09	15.12.12	25000.00	पप्पु वस्त्र निकेतन छपरा	,,
10.	15.12.12	4925.00	हिना स्टोर , पटना	,,
11.	15.12.12	25000.00	पप्पु वस्त्र निकेतन छपरा	,,
12.	तिथि अंकित नहीं	5004.00	हिना स्टोर , पटना	,,
13.	17.01.13	25000.00	पप्पु वस्त्र निकेतन छपरा	,,
14.	17.01.13	5075.00	हिना स्टोर , पटना	,,
15.	17.01.13	25000.00	पप्पु वस्त्र निकेतन छपरा	,,
16.	17.01.13	5006.00	हिना स्टोर , पटना	,,

130

17.	15.02.13	25000.00	पप्पु वस्त्र निकेतन छपरा	,,
18.	15.02.13	4925	हिना स्टोर , पटना	,,
19.	15.02.13	25004.00	पप्पु वस्त्र निकेतन छपरा	,,
20.	15.02.13	5075.00	हिना स्टोर , पटना	,,
	कुल	300178.00		

केन्द्र सरकार के मार्गदर्शिका के दिशा–निर्देशों के अनुसार पारा 6.3 स्थानीय सामग्री के प्रयोग का निर्देश दिया गया था। लेकिन संस्था द्वारा कुल सामग्री का क्रय ₹300178.00 छपरा तथा पटना से किया गया था। जो सरकार के दिशा–निर्देश का उल्लंघन था।

पुनः किसी भी अभिश्रव पर क्रमांक प्रिंटेड नहीं था। तथा दोनो मेसर्स पर वैट टोकन सं0 तथा वैट टिन टिकट सं0 अंकित था। उपर्युक्त तथ्य के बिना अभिश्रव पारित करना अनियमित था। इसका कारण स्पष्ट करने तक ₹300178.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

F- कंप्यूटर का 160 किटस तथा 160 टुल्स का क्रय FIIT group of education से क्रय किया गया था। जिसका सिर्फ मनी रसीद ही था। अभिश्रव तथा प्रशिक्षणाथियों के बीच वितरण का काई साक्ष्य नहीं था। इसका कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करें

G. मार्गदर्शिका के पास 6.5 के अनुसार प्रशिक्षाणार्थी को मासिक वजीफा दिया जाना था। लेकिन मासिक वजीफा नहीं दिया गया था। इसका कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करे।

H. सभी प्रशिक्षणार्थी को प्रमाण –पत्र तथा कम से कम 30 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लेकिन संस्था द्वारा अभी तक प्रमाण –पत्र तथा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसका कारण स्पष्ट करे।

I. संचिका में उपलब्ध प्रशिक्षणार्थियों की सूची में बी0पी0एल0 सं0 तथा योग्यता नहीं दिया गया था। इसका कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करे।

J. नगर विकास तथा आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 427 दिनांक 15.05.12 के अनुसार विभिन्न ट्रेडो के कुल प्राप्त आवेदनो की व्यवसायवार सूची शहरी विकास अभिकरण को निश्चित रूप से प्रेषित करना है। लेकिन नगर पंचायत द्वारा सूची नहीं भेजी गई थी। इसका कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करे।

20. दैनिक मजदूरों पर भुगतान

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक– 1/111/99/886 दिनांक 20.02.09 एवं समय समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देश के अनुसार दैनिक मजदूरी के आधार पर सभी प्रकार की नियुक्तियों को प्रतिबंधित किया गया है।

परंतु नगर पंचायत द्वारा दिशा–निर्देश की अवहेलना कर दैनिक मजदूरी पर कर्मियों को रखा गया, जिस पर वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 की अवधि में कुल ₹693815 का भुगतान नगर पंचायत निधि से किया गया ।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि स्वीकृत बल की संख्या 5 है। मान्य नहीं है।

अतः उचित स्पष्टीकरण दिये जाने तक दैनिक मजदूरो पर भुगतान की गई राशि ₹693815 को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

21. जनगणना कार्य में भुगतान

कार्यालय के रोकड़ बही जनगणना से संबंधित अभिश्रव की नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि दिनांक 17.02.11 को भारत की जनगणना 2011 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण कार्य हेतु कार्यालय व्यय एवं प्रमाणों के लिए मानदेय एवं प्रशिक्षण भता तथा पर्यवेक्षक एवं मास्टर ट्रेनरों के लिए प्रशिक्षण भत्ता का भुगतान चेक सं0 923080 दिनांक 17.02.11 द्वारा राशि ₹192000 का भुगतान किया गया था।

अभिश्रव के क्रम संख्या 74 पर रवैया खातून, स0शि0, नव प्रा0 विद्यालय हाजी सिद्दीक, मिल्लतनगर प्रगणक को प्रशिक्षण भत्ता ₹250 प्रतिदिन की दर से 3 दिनो के लिए ₹750 भुगतान दिखाया गया परंतु प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में इनका दस्तखत नहीं पाया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि एक प्रगणक का हस्ताक्षर छूट गया था। जिसे करा लिया गया है। जवाब मान्य नहीं है। अतः भुगतान की राशि ₹750 वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

22. योजना की भौतिक स्थिति

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि में क्रियान्वित योजनाओं की भौतिक स्थिति निम्न है–

क्र0सं0	मद का कुल वर्ष	कुल कार्यान्वित योजना	पूर्ण योजना की सं0	अपूर्ण योजना की सं0	अपूर्ण योजनाओं की प्रा0 राशि	अपूर्ण योजनाओ में कुल अग्रिम
12th fc						
01	10–11	–	–	–	–	–
02.	11–12	03	03	–	–	–
03.	12–13	–	–	–	–	–
13th fc						
04	10–11	–	–	–	–	–
05.	11–12	12	12	–	–	–
06.	12–13	–	–	–	–	–

128

BRGF						
07	10–11	02	01	01	1920900.00	1800000.00
08.	11–12	–	–	–	–	–
09	12–13	03	03	–	–	–
विविध मद						
10	10–11	04	04	–	–	–
11	11–12	–	–	–	–	–
12.	12–13	–	–	–	–	–
समग्र कुल		24	23	1	1920900.00	1800000.00

योजनाओं में पाई गई अनियमितताए आगे की कंडिका में दी गई है।

23. योजना अग्रिम का समयोजन नहीं

योजना पंजी के के अवलोकन तथा योजना के अग्रिम पंजी की जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित अनुदान मद से कियान्वित योजनाओ में अभिकर्ता को अग्रिम दिया गया था। विवरण निम्न है–

क्र0सं0	**अनुदान मद का नाम**	**योजना की सं0**	**अग्रिम राशि**
1.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती	3	167500.00
2.	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना	10	538500.00
3	विविध योजना (इसमें से प्रशासनिक भवन को अग्रिम रू 2865000.00 नहीं लिया गया है)	87	252500.00
4.	द्वादश वित्त आयोग	10	665000.00
5.	एकादश वित्त आयोग	3	855000.00
		रू 33	2478500.00

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट –10 पर संलग्न

यह सभी अग्रिम रोकड़ बही में इंद्रराज नहीं था। इस संबंध में यह बताया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्रतिदिन के व्यय को अंकित किया जाता है तथा अग्रिम को रोकड़ बही में नहीं लिया जाता है। अग्रिम समायोजन होने पर कुल राशि का इंद्रराज रोकड़ बही में किया जाता है। यह प्रणाली बिहार नगरपालिक लेखा नियमावली 1925 के विरूद्ध है।

भविष्य में रोकड़ बही मासिक बंद किया जाय तथा सभी व्यय का इंद्रराज किया जाय।

पुनः कुल 33 योजनाओं के योजना संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बहुत से अग्रिम के विरूद्ध मापी नहीं की गई थी। तथा इनका अभिश्रव नहीं था। कुछ योजना में अग्रिम से अधिक का मापी पुस्तिका

के अनुसार कार्यालय एवं अभिश्रव था। लेकिन अग्रिम समायोजन नहीं किया गया था। तथा अभिश्रव पारित नहीं था।

कुछ योजना में मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य मूल्य तथा अभिश्रव कम था।

विस्तृत विवरण परिशिष्ट –9 पर

अंकेक्षण आपत्तिः–

1. परिशिष्ट के अनुसार निम्नलिखित योजना में अग्रिम दिया गया था, लेकिन इसके विरूद्ध न तो अभिश्रव न ही मापी पुस्तिका संचिका में था।

विवरण निम्न है–

क्र0सं0	मद	योजना सं0	अभिकर्ता का नाम	अग्रिम
01.	xii th fc	14/06–07	शदाब अनवर , JE	27500.00
02.	,,	07/07–08	तारकेश्वर प्रसाद (पं0 सेवक)	57500.00
03.	,,	8/07–08	तथैव	57500.00
04	SJSRY	05/01–02	अनवर आलम	67000.00
05	,,	01/04–05	शदाब अनवर	20000.00
06.	XI th FC	04/03–04	तथैव	137500.00
07.	,,	14/03–04	तथैव	357500.00
08.	,,	18/03–04	तथैव	360000.00
09.	NSDP	19/02–03	तथैव	8500.00
10.	,,	01/03–04	,,	142500.00
11.	,,	16/03–04	,,	16500.00
12.	विविध मद	5/06–07	मो0 खलील (पं0 सेवक)	37500
13	,,,	01/07–08	तथैव	7500.00
				रू 1297000.00

अभिकर्ता पर कुल अग्रिम

1. शदाब अनवर (क0अभि0)	₹ 1070000.00
2 तारकेश्वर प्रसाद (पं0 सेवक)	₹ 115000.00
3. अनवर आलम (अधि क्षेत्रमंडल)	₹ 67000.00
4. मो खलील (पं0 सेवक)	₹ 45000.00
कुल	₹ 1297000.00

उपरलिखित योजना करीब 6 वर्ष से 12 वर्ष तक पुराना है। इन सभी योजनाओं में कार्य अब उसी प्राक्कलित राशि पर संभव नहीं है। अतः अग्रिम की वसूली के लिए नगर पंचायत द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाय।

2. निम्नलिखित योजनाओं में अभिकर्ता को दिये गये अग्रिम से कम कार्य कराया गया था।

126

क्र0 सं0	मद	यो0 सं0	अभिकर्ता का नाम	प्रा0 राशि	अग्रिम राशि	मापी पु0कार्य मू0	अभिश्रव की राशि	बकाया राशि
1	XIIth fc	02/07–08	मो0 खलील (प0से0)	46300.00	42500.00	25925.00	23997.00	18503.00
2.	SJSRY	02/98–99	कुमार रोशन सिंह	191400.00	170500.00	163562.00	176666.00	6938.00
3	,,	7/99–2000	नशीरूल इस्लाम	79000.00	77000.00	70547.00	अभिश्रव नहीं था	6453.00
						260034.00		31894.00

ऊपरलिखित से स्पष्ट है कि बकाया अग्रिम ₹31894.00 की वसूली अभी तक संबंधित अभिकर्ता से नहीं किया गया था।

पुनः यह कार्य अभी तक अधूरा है तथा उस प्राक्कलन पर कार्य संभव नहीं है। अतः राशि ₹260034.00 का व्यय निरर्थक था। पुनः इन योजनाओं से नगर पंचायत के जनता को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। निरर्थक व्यय की राशि ₹260034.00 वसूली योग्य है।

3. निम्नलिखित योजनाओं में अभिकर्ता को दिये गये अग्रिम से अधिक का कार्य कराया गया था।

क्र0 सं0	मद	यो0सं0	अभिकर्ता का नाम	प्रा0 राशि	अग्रिम की राशि	मापी पु0 के अनुसार कार्य मूल्य	अभिश्रव की राशि
01	XIIth FC	1/07–08	तारकेश्वर प्रसाद (प0स0)	35000.00	32500.00	34950.00	34950.00
02.	,,	04/07–08	मो0 खलील(प0से0)	56500.00	52500.00	53437.00	53457.00
03	,,	5/07–08	तथैव	50300.00	47500..00	49806.00	48854.00
04	,,	6/07–08	तारकेश्वर प्रसाद (प0स0)	76600.00	72500.00	76207.00	76269.00
05	,,	9/07–08	मो0 खलील(प0से0)	246500.00	207500.00	219961.00	219961.00
06.	SJSRY	9/06–07	तथैव	37000.00	32500.00	37000.00	37015.00
07	,,	10/06–07	तथैव	19700.00	17000.00	19176.00	20659.00
08	,,	01/07–08	तारकेश्वर प्रसाद	83600.00	77500.00	83295.00	83343.00
09.	विविध	04/06–07	मो0 खलील	50200.00	47500.00	49550.0	49560.00
10.	,,	06/06––07	तथैव	50300.00	47500.00	50093.00	50140.00
11.	,,	08/06–07	तथैव	35000.00	27500.00	34896.00	38120.00
12	,,	9/06–07	तथैव	49500.00	42500.00	48722.00	48745.00
13.	,,	10/03–07	तथैव	50300.00	42500.00	50300.00	50350.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य पूर्ण था। लेकिन अभी तक अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया था। तथा अभिश्रव पारित नहीं किया गया था एवं योजना पूर्ण नहीं दर्शाया गया था। साथ ही विभागीय कार्य में अभिकर्ता द्वारा अग्रिम से अधिक राशि व्यय गया था।

4. निम्नलिखित योजनाओ की संचिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन इन योजनाओं में अभिकर्ता को अग्रिम दिया गया था।

क्र0सं0	मद	योजना सं0	अग्रिम की राशि
01.	SJSRY	5/98–99	17000.00
02	,,	2/06–07	37500.00
03.	,,	12/06–07	27500.00
		कुल	77000.00

अतः कुल अग्रिम/निरर्थक व्यय की राशि ₹1557034 (1297000+ 260034) की वसूली/समायोजन कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायय।

24. 1. आयकर कटौती नहीं करने से ₹3.2[illegible] लाख की हानि

संवेदक द्वारा योजनाओं के कियान्वयन पर नियमानुसार 2.66 प्रतिशत आयकर की कटौती करनी चाहिए थी। लेकिन इस दिशा–निर्देश के विपरीत नगर पंचायत द्वारा निविदा पर कराये गये 21 योजनओं में आयकर की कटौती नहीं की गई थी। आयकर की राशि केन्द्र सरकार के आय का स्त्रोत है लेकिन आयकर कटौती नहीं करने से केद्र का राजस्व की क्षति हुई है। नगर पंचायत द्वारा 21 योजनाओ में आयकर की कुल राशि ₹327568.00 की कटौती नहीं की गई थी। विस्तृत परिशिष्ट पर ।

आयकर कटौती नहीं कर संवेदक को अधिक भुगतान किया गया था। अतः आयकर की राशि ₹327568.00 की वसूली कर केंद्र सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करे तथा पूर्व की योजनाओं में आयकर की कटौती नहीं की गई हो तो उसमें भी आयकर की कटौती नियमानुसार कर उसे केंन्द्र सरकार के संबधित शीर्ष में जमा करे।

2. सुरक्षित जमा राशि (Security Deposit) की कटौती

नगर पंचायत द्वारा सभी 21 योजनाओ में सुरक्षित जमा राशि की 5 प्रतिशत कटौती संवेदक के विपत्र से नहीं किया गया था। परिशिष्ट के अनुसार ₹722798.00 की कटौती संवेदक विपत्र से नहीं किया गया था। जबकि निविदा कार्य में पी0डब्लू0 डी0 के नियमानुसार संवेदक के प्रत्येक विपत्र से 5 प्रतिशत सुरक्षित जमा राशि कटौती करनी होती हैं।

3. 10% राशि की कटौती नहीं

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की चार योजनाओं की निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 14.02.11 के कंडिका 22 तथा दिनांक 17.07.12 के कंडिका 18 के अनुसार निविदादाता को निर्माण समाप्ति से पॉच वर्षो तक पथ का रखरखाव करना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही 10% की अंतिम किस्त का भुगतान होगा। वर्ष 2010–11 तथा 2012– 13 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान से चार योजनाएँ ली गई तथा भुगतान पूर्ण कर दिया गया था। विवरणी निम्न है–

क्र0सं0	योजना सं0	प्रा0 राशि	भुगतान की गई राशि	10% राशि
01.	02/10–11	3280300.00	3257077.00	325708.00
02.	01/12–13	1664914.00	1413288.00	141329.00
03.	02/12–13	1786952.00	1518341.00	151834.00
04	03/12–13	653589.00	619422.00	619422.00
	कुल			680813.00

नगर पंचायत द्वारा निविदा की शर्त का उल्लघंन कर ₹680813.00 का भुगतान किया गया था। जो अनियमित था।

25. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की योजना पंजी तथा जिला योजना समिति से अनुमोदित योजना की सूची के मिलान से पाया गया कि योजना सं0 01/10–11 जो नगर पंचायत के 57 स्थलो पर सोलर लाईट अधिष्ठापन से था तथा जिसकी प्रा0 राशि ₹2109000.00 थी।यह कार्य मेसर्स मयंक इंजिनियरिंग वर्क्स प्रा0 लि0 आर0 पी0 रोड कटिहार को दिया गया था। इस कार्य के विरूद्ध मेसर्स द्वारा ₹1920900.00 का विपत्र दिया गया था। विपत्र संचिका में नहीं था। मेसर्स का निम्न अग्रिम दिया गया था।

क्र0सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	राशि
01.	52	20.08.10	500000.00
02.	53	25.08.10	800000.00
03.	88	05.10.10	500000.00
		कुल	1800000.00

मेसर्स को अभी तक अवशेष राशि का भुगतान नहीं किया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सोलर लाईट का भौतिक निरीक्षण किया गया उनमें पाया गया कि जिनियस स्कुल के निकट तथा यतीमखाना एल0आर0पी0 चौक के पास का सोलर लाईट कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बाद कोई कारवाई नहीं की गई थी। जबकि विपत्र के अनुसार निम्न भुगतान अवशेष था।

कार्य का मूल्यांकन	1920900.00
अग्रिम की राशि	1800000.00
वैट की राशि	61104.00
भुगतेय राशि	59796.00

जबकि ₹33695.00 प्रति सोलर लाईट क्रय किया गया था दो बंद सोलर लाईट की राशि ₹67390 (2×33695.00) होती है अर्थात यह राशि भुगतेय राशि से अधिक थी, जो वसूली योग्य है।

अंकेक्षण आपत्ति

1. जिला परिषद योजना समिति द्वारा अनुमोदित वर्ष 2010–11 की योजना से यह योजना नहीं ली गई थी। इस संबंध में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह योजना वर्ष 2008–09 मे जिला योजना समिति

से अनुमोदन है। जबकि योजना संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008–09 में सोलर लाईट की योजना ली गई थी। पुनः वर्ष 2010–11 में योजना बिना जिला योजना समिति के अनुमोदन का लिया जाना अनियमित था। तथा बीआरजीएफ के दिशा–निर्देश के विपरीत था। बिना अनुमोदन के योजना लेने के कारण ₹18.00 लाख का व्यय अनयिमित था।

2. कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण के क्रम में पाया कि दो सोलर लाईट कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन संचिका अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इसके लिए आपूर्तिकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

3. आपूर्तिकर्ता द्वारा वारंटी /गांरटी कार्ड नहीं दिया गया था। वारंटी कार्ड नहीं देने के कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करे।

4. कनीय अभियंता द्वारा अपने प्रतिवदेन यह कहा गया कि (18.08.10) सभी सोलर लाईट अधिष्ठापित हो गया है तथा कार्य कर रहा है। जबकि कार्यपालक पदाधिकारी के भौतिक निरीक्षण में दो सोलर लाईट कार्य नहीं कर रहा था। इस गलत प्रतिवेदन पर कनीय अभियंता पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

5. सोलर लाईट का भौतिक प्रतिवेदन अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया

आपत्तियों के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि वर्ष 2008–09 में जिला योजना से अनुमोदित सोलर लाइट की योजना में प्राक्कलित राशि ₹50000.00 थी जिसमें ₹2751000.000 व्यय किया गया। इस कारण वर्ष 2010–11 में सोलर लाइट का योजना लिया गया।

जवाब मान्य नहीं है। अतः अनियमित भुगतान की राशि ₹1800000.00 को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

26. अनियमित भुगतान

खनन एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक 125 दिनांक 10.01.07 के अनुसार योजना निमार्ण कार्य में प्रयुक्त खनिजो की मात्रा के लिए चालानों की विवरणी चालान तथा फॉर्म एम एवं एन संवेदक द्वारा नहीं जमा करने पर अवैध माना जायेगा तथा लघु खनिज के लिए संवेदक भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

लेकिन इस आदेश के विपरीत नगर पंचायत द्वारा सामग्री के ढुलाई का भुगतान किया गया था।

नमूना जॉच में पाया गया कि योजना में सामग्री ढुलाई पर ₹5208445.00 का भुगतान किया गया था।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि योजना छोटी थी। इस कारण फॉर्म एम तथा एन प्राप्त नहीं किया गया ।

जवाब मान्य नहीं है।/संतोषजनक उत्तर दिये जाने तक ढूलाई की भुगतान की राशि ₹5208445.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

विस्तृत विवरण परिशिष्ट–11 पर संलग्न

122

27. क्षतिपूर्ति शुल्क ₹459150.00 की कटौती नहीं

योजना संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संवेदक द्वारा किए गए कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने पर पी0डब्लू0 डी0 कोड एफ2 के क्लाज (2) के अनुसार प्राक्कलित राशि पर ½% की दर से क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती की जाएगी। यह राशि प्रा0 राशि के 10% से अधिक नहीं होगी। लेकिन इस दिशानिर्देश के विवरीत नगर पंचायत द्वारा विलंब से कार्य पूर्ण होने पर क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि योजना में ₹459150 की कटौती नहीं की गयी थी।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–12 पर)

कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब कि समय वृद्धि का आवेदन दूसरे फाइल में रखा गया है मान्य नहीं है। अतः हानि की राशि ₹459150 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर निधि में जमा कराया जाय।

28. असमायोजित अग्रिम राशि ₹28.65 लाख

योजना सं0 – 01/2007–08

अग्रिम– ₹2865000

योजना का नाम – नगर पंचायत, बहादुरगंज के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य

मद – जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना अनुदान

प्राक्कलित राशि – ₹3850500

मापी – ₹2481062 (20.07.09)

अभिकर्त्ता – मो0 खलील पंचायत सेवक, बहादुरगंज

कार्यादेश –न0प0 बहादुरगंज के ज्ञापांक 86 दिनांक 24.04.07 द्वारा

कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि –कार्यादेश में अंकित नहीं

विपत्र – ₹49650 (बिजली सामग्री पर)

नगर पंचायत, बहादुरगंज को प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक सं0 1398 दिनांक 30.03.07 द्वारा ₹3850500 के मॉडल प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया था। अर्थात ₹2887875 की योजना के कार्यान्वयन हेतु मो0 खलील पं0 से 0 बहादुरगंज को विभागीय अभिकर्त्ता बनाया गया था।

अभिकर्त्ता की प्रदत अग्रिम–

अग्रिम	राशि
प्रथम	15000
द्वितीय	1000000
तृतीय	1500000
चतुर्थ	350000
कुल	2865000

अंकेक्षण आपत्तियॉ –

संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि प्रशासनिक भवन तैयार हो चुका है तथा उसमें नगर पंचायत कार्यालय अवस्थित हो चुका है। लेकिन अभिकर्ता द्वारा अभिश्रव (बिजली सामग्री के विपत्र ₹49650 को छोड़कर) तथा मस्टर रॉल कार्यलय में लगभग 4 साल बाद भी समर्पित नहीं किया गया है एवं मापी पुस्तिका में मात्र ₹2481062 का ही कार्य मूल्य अंकित किया गया है जो कनीय अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित है लेकिन सहायक अभियंता द्वारा जॉच तथा उनका हस्ताक्षर नहीं था, जो एक गंभीर अनियमितता है। अभी तक न0प0 द्वारा संबंधित अभिकर्ता से अग्रिम समायोजन अभिश्रव तथा मास्टर रॉल प्राप्त करने के लिए नोटिस निर्गत नहीं किया गया है।

पुनः प्रशासनिक भवन तैयार होकर उसमें न0पं0 कार्यालय चल रहा है लेकिन कार्य की मापी 20.07.09 के बाद नहीं किया गया है। इसके लिए संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को नोटिस नहीं दिया गया है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि ₹25150002 का दिनांक 31.08.07 को न0वि0वि0, बिहार,पटना को भेजा गया जबकि अभिकर्ता द्वारा अभिश्रव मस्टर रॉल नहीं दिया गया था। जबकि मापी पुस्तिका में दिनांक 03.06. 2007 तक कुल कार्य मू0 ₹445887 था। इसमें स्पष्ट है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र गलत भेजा गया था। कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कार्यालय भी प्रशासन भवन में अवस्थित हो चुका है लेकिन अभिकर्ता द्वारा अभिश्रव एवं कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त अद्यतन नहीं करने को कारण राशि का समायोजन नहीं किया गया।

अतः विपत्र, मस्टर रॉल, मापी पुस्त उपलब्ध होने तक व्यय की गयी राशि ₹2865000.00 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

29. श्रम सेस

योजना पंजी के अवलोकन में पाया गया कि कुछ योजनाओ में ₹55441 श्रम सेस की कटौती नहीं की गई थी। कुछ योजनाओ में ₹63752 श्रम सेस की कटौती का प्रेषण सरकार के संबंधित शीर्ष में नहीं किया गया था। तथा कुछ योजनाओं में ₹24873 श्रम सेस की कटौती कम की गई थी।

अतः ₹80314 (55441+ 24873) की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से करते हुए कुल राशि ₹144066 (55441+ 63752+ 24873) का प्रेषण सरकार के संबंधित शीर्ष में किया जाय।

30. रॉयल्टी की राशि का प्रेषण नहीं

योजना पंजी के अवलोकन में पाया गया कि कुछ पूर्ण योजनाओ में कटौती की गई रॉयल्टी की राशि ₹109627 का प्रेषण संबंधित शीर्ष में नहीं किया गया था। इसे यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए।

31. अग्रिम

अग्रिम पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुल ₹4008680.00 अग्रिम विभिन्न कर्मियों के यहॉ बकाया था। विवरण निम्नलिखित है–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पूर्व का शेष	2012–13 में अग्रिम	दिनांक	समायोजन
1	श्री फूल कुमार राय	40190.00	20000.00	18.04.12	शून्य
			200000.00	09.05.12	,,
			161500.00 (जनगणना कर्मियों के भूगतान हेतु)	15.05.12	..
			200000.00 (निर्वाचन 2012)	14.05.12	,,
			1923000.00 (वृद्धा पेंशन वितरण हेतु)	13.10.12	,,
			1400000.00 (वृद्धा पेंशन वितरण हेतु)	07.02.13	,,
	कुल	40190.00+ 3904500= 3944690.00			
2	मो0 नईम अख्तर	57490.00	शून्य		शून्य
3	अंचल पदाधिकारी	1000.00	शून्य		शून्य
4	भोला मल्लिक	5500.00	शून्य		शून्य
	कुल	4008680.00			

सामान्यतया अग्रिम अत्यधिक आवश्यकता होने पर दिया जाता है। प्रथम अग्रिम समायोजन होने के बाद ही दूसरा अग्रिम देना चाहिए। लेकिन नगर पंचायत द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया गया था तथा लगातार अग्रिम दिया गया था जैसा कि उक्त विवरणी से स्पष्ट है। वर्ष 2010–11 से 12–13 तक एक भी अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया थां।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि अग्रिम समायोजन हेतु सूचना दिया गया है। अतः अग्रिम ₹4008680.00 का समायोजन/वसूली हेतु उचित प्रयास किया जाए।

32. कार्यपालक से वार्त्तालाप

लेखापरीक्षा की समाप्ति पर कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप की गई।

33. लेखापरीक्षा परिणाम

1. वसूली हेतु सुझाई गई राशि – ₹1857209.00
2. वसूल कराई गई राशि – ₹86555.00
3. आपत्ति के अधीन रखी गई राशि – ₹9690302.00

34. सामान्य अभियुक्ति

लेखाओं का संधारण विहित ढंग से किया जाए। प्रत्येक मद के लिए अलग बैंक खाता खोला जाए तथा योजनाओं में दी गई अग्रिम के समायोजन/वसूली हेतु उचित कदम (कानूनी कार्रवाई सहित) उठाया जाए।

–हस्ता0–
(सुबोध प्रसाद)
स0ले0प0अ0
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
---सह--
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

परिशिष्ट - I

अंकेक्षण में प्रस्तुत व नमूना जाँच की गई दस्तावेजों की सूची
(प्रतिवेदन की कंडिका - 3 से संबंधित)

1. सामान्य रोकड़ बही एवं सहायक रोकड़ बहियाँ
2. बैंक पास बुक (उपरोक्त रोकड़बहियों की)
3. अभिग्राह
4. योजना पंजी एवं कुछ योजना अभिलेख
5. बन्दोबस्ती संचिकाएँ
6. अग्रिम पंजी
7. बजट
8. स्वीकृत बल व कार्यरत बल
9. गृहकर एवं रसीद एवं दैनिक संग्रह पंजियाँ
10. विविध रसीद एवं दैनिक संग्रह पंजियाँ
11. रसीदों की भंडार पंजी
12. आवंटन पत्र

SP
AAO

परिशिष्ट - II

अंकेक्षण में अप्रस्तुत दस्तावेजों की सूची
(प्रतिवेदन की कंडिका - 3 से संबंधित)

1. अनुदान पंजी
2. कुछ योजना अभिलेख
3. सेवा पुस्तिकाएँ
4. कोषागार खाता
5. ऋण पंजी
6. भविष्य निधि पासबुक एवं संचिकाएँ
7. मांग व वसूली पंजी
8. वार्षिक लेखा
9. कर निर्धारण पंजी
10. दुकान किराया पंजी
11. वाहन व गाड़ी का लॉग बुक

AAO

परिशिष्ट - III 67

दिनांक 31.03.13 को बैंक खाता व रोकड़ बहियों में अवशेष की विवरणी

बैंक

	खाता का नाम	A/c No		
1	कोषागार खाता		31.03.13	1,64,59,202.22
2	SBI, बहादुरगंज	32677215238	31.12.12	2515363.00
3	SBI, बहादुरगंज	32695827985	31.03.13	2772838.00
4	CBI, बहादुरगंज	2092423037	31.03.13	2,64,255.00
5	CBI, बहादुरगंज	2092447231	31.03.13	20,55,094.00
6	SBI, बहादुरगंज	32677214675	31.12.12#	50010.00
7	SBI, बहादुरगंज	32677215545	31.12.12#	3,16,877.00
8	SBI किशनगंज	01100066748	31.03.13	286411.00*
9	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बहादुरगंज	10083910100011 59	31.03.13	97368.00
			कुल	2,73,17,418.22

पास बुक अद्यतन नहीं एवं चेक पंजी में इस तिथि के बाद कोई प्राप्ति व निकासी नहीं है।
* चेक पंजी के अनुसार अवशेष है, पास बुक अद्यतन नहीं है।

रोकड़ बही

1.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि		4356438.00
2	एकादश व द्वादश वित्त अनुदान		3643259.00
3	तेरहवीं वित्त अनुदान		4570737.00
4	विविध	26,58,101.00	2,558,101.27
5	SJSRY		2026114.00
6	स्ववित्तपोषित		171964.00
7	शिक्षा गारंटी योजना		32904.00
8	बालिका समृद्धि योजना		25000.00
9	राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना		218421.00
10	पाथेय मत्ता		40000.00
11	जनाधना		30104.00
12	हाल्डा कार		896670.00
13	वेतन		800153.00
14	चतुर्दश वित्त आयोग अनुदान		8447207.00
15	सामाजिक सुरक्षा पेंशन (रोकड़ बही पूर्णतः संधारित नहीं कि प्राप्त आवेदन है।)		3847200.00
			31,764,273.27

अग्रिम

1.	विविध (स्थापना, निर्वाचन व अ	(-) 104180.00
	(i) स्थापना	(-) 220000.00
	(ii) निर्वाचन	(-) 3,17,500.00
	(iii) योजना (पूर्ववर्ती वर्षों का)	(-) 3,32,300.00
2	सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वर्तमान)	2,99,959.27

परिशिष्ट - IV

नगर पंचायत बहादुरगंज को प्राप्त अनुदान

वर्ष - 2010-11

क्र.सं.	रोकड़ बही में प्रविष्टि दिनांक	पत्रांक व दिनांक	राशि (रु.)	अनुदान
1	04.06.10	जि.प. किशनगंज 274/11.05.10	731023	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान
2	27.11.10	तथा 674/27.11.10	1271116	"
		कुल	2002139	
3	22.01.11	न.वि.एवं आ.वि. 95/17.08.10	1100000	तेरहवीं वित्त अनुदान
		कुल	1100000	
4	01.12.10	न.वि.एवं आ.वि. 6243/3.11.10	140000	नगर प्रबंधक का मानदेय
		कुल	140000	
5	9.08.10	न.वि.एवं आ.वि. 2031/20.04.10	74400	पार्षद मेला
		कुल	74400	
6	01.02.11	पुस्तिका अवसाहरा, जनगणना किशनगंज	3000	जनगणना
7	01.02.11	जिला पदाधिकारी, किशनगंज 114/15.02.10	132000	"
8	01.02.11	तथा	57000	"
		कुल	192000	
9	13.01.11	न.वि.एवं आ.वि. 114/21.09.10	94915	पीचिंग वेतन अनुदान
			2047133	"
		कुल	2142048	
10	23.07.10	जिला पदाधिकारी, किशनगंज 1058/16.07.10	54000	कवर अंतरेटिर
11	8.3.11	तथा 43/23.02.11	54000	"
12	31.03.11	तथा 85/24.03.11	54000	"
		कुल	162000	

कुल योग = 5812587 रु

SK
AAO

नगर पंचायत-बहादुरगंज को प्राप्त अनुदान

वर्ष 2011-12

क्र.सं.	चेक बही की प्रविष्टि तिथि	प्रपत्र व दिनांक		राशि	अनुदान
1	20.7.11	जिला पदाधिकारी, विश्वनाथगंज	235/10.01.11	1815569	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान
2	28.02.12	तत्रैव	70/28.02.12	1658205	"
			कुल	3473774	
3	26.05.11	न.वि.प्र.अ.वि.	186 30.03.11 ~~2703/17.05.11~~	11,00,000	तेरहवीं वित्त अनुदान
4	26.05.11	न.वि.प्र.अ.वि.	187 30.03.11 ~~2704/17.05.11~~	3074	" " ब्याज
5	15.03.12	तत्रैव	21/4.08.11	12,00,000	"
6	15.03.12	तत्रैव	24/23.08.11	1,00,000	"
			कुल	24,03,074	
7	12.03.12	प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना	415(5)/रा./06.1.12	500	जनगणना
8	12.03.12	तत्रैव		381390	"
			कुल	381890	
9	28.12.11	अनुमंडल पदाधिकारी, विश्वनाथगंज	1807/23.12.11	60,000	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
10	28.12.11	तत्रैव	1808/23.12.11	10,000	"
			कुल	70,000	
11	29.09.11	जिला पदाधिकारी, विश्वनाथगंज	207/08.09.11	106500	कबीर अंत्येष्टि
12	26.12.11	तत्रैव	297/23.12.11	63000	"
			कुल	1,69,500	

कुल योग - 6498238 रु०

नगर पंचायत - जहाँगीराबाद को प्राप्त अनुदान

राशि 1,84,17,583 रु

वर्ष 2012-13

क्र.सं.	प्राप्ति तिथि	शीर्षक	क्रमांक व दिनांक	राशि (रु)	अनुदान
1	14.12.12	जिला पंचायत, विदिशा	450/12.10.12	2510411	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान (सामान्य)
2	14.12.12	तत्रैव		316259	तत्रैव (अनुसूचित)
3	14.12.12	तत्रैव		49912	तत्रैव (अनु. जनजाति)
			कुल	2876576	
4	9.11.12	न.वि.एवं आ.वि.	01/4.4.12	863000	तेरहवीं वित्त अनुदान
5	9.11.12	तत्रैव	29/19.07.12	1409000	"
6	9.11.12	तत्रैव	36/31.08.12	449000	"
			कुल	2721000	
7	13.09.12	उपविकास आयुक्त, विदिशा द्वारा चेक से		8800	आपातिक भूमिकर एवं जाति पुनर्गणना के प्रतिपूर्ति कार्य हेतु
			कुल	8800	
8	12.11.12	न.वि.एवं आ.वि. (इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व)		3000000	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)
			कुल	3000000	
9	23.03.13	न.वि.एवं आ.वि.	88/4.03.13	3078906	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अनुदान
		(i) वेतन भत्ते एवं पेंशन		3078906	
		(ii) विद्युत विपत्र सेवा प्रभारी खर्च, आकस्मिकता तथा व्यवस्था		439836	
		(iii) विकास कार्यों के लिए		879694	
		(iv) हाथों में मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने हेतु		914629	
		(v) नगरीय सड़कों के लिए		326218	
		(vi) जलापूर्ति हेतु		274389	
		(vii) लोकस्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेतु		228658	
		(viii) सड़कों के लिए रोशनी		304877	
		(ix) असंबद्ध अनुदान		2000000	
			कुल	8447207 रु	
10	18.10.12	S.D.O. Kishangarh द्वारा		20000 रु	शहरी पथविक्रेता हेतु
11	3.11.12	तत्रैव		70000 रु	"
12	3.11.12	तत्रैव		140000 रु	"
			कुल	230000 रु	
13	18.04.12	जिला पंचा. विदिशा	131/30.03.12	322500	वसीयत अंतरित
	18.04.12	तत्रैव	132/30.03.12	136500	"
	18.02.13	तत्रैव	44/4.02.13	459000	"
	18.02.13	तत्रैव	45/4.02.13	216000	"
			कुल	1134000	

सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर से प्राप्त वसूली

(प्रतिवेदन की कंडिका - 13 से संबंधित)

क्र.सं.	कार्यालय	आदेश सं. व दिनांक	राशि	राशि
1	जिला पदा. किशनगंज	350/7.09.12	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (SC)	3600
2	तथैव	351/7.09.12	तथैव (GEN)	180000
3	तथैव	352/7.09.12	इं.गां.रा.निःशक्तता पेंशन (SC)	1800
4	तथैव	353/7.09.12	तथैव (GEN)	5400
5	तथैव	354/7.09.12	इं.गां.रा.वृद्धावस्था पेंशन (GEN)	1185000
6	तथैव	355/7.09.12	इं.गां.रा.विधवा पेंशन (SC)	16200
7	तथैव	356/7.09.12	तथैव (GEN)	297000
8	तथैव	357/7.09.12	बिहार निःशक्तता पेंशन (SC)	54000
9	तथैव	358/7.09.12	तथैव (GEN)	180000
10	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, किशनगंज	387/22.09.12	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (GEN)	18000
11	जिला पदा. किशनगंज	473/5.12.12	इं.गां.रा.वृद्धावस्था पेंशन (SC)	150000
12	तथैव	14/19.01.13	लक्ष्मीबाई सा.सु.पेंशन (GEN)	110000
13	तथैव	15/19.01.13	तथैव (SC)	3400
14	तथैव	18/19.01.13	इं.गां.रा.विधवा पेंशन (SC)	8200
15	तथैव	19/19.01.13	तथैव (GEN)	150000
16	तथैव	20/19.01.13	इं.गां.रा.वृद्धावस्था पेंशन (SC)	31200
17	तथैव	21/19.01.13	तथैव (GEN)	1253000
18	तथैव	22/19.01.13	इं.गां.रा.निःशक्तता पेंशन (SC)	2000
19	तथैव	23/19.01.13	तथैव (GEN)	5400
20	तथैव	24/19.01.13	बिहार निःशक्तता पेंशन (SC)	25000
21	तथैव	25/19.01.13	तथैव (GEN)	90000
22	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, किशनगंज	388/22.09.12	लक्ष्मीबाई सा.सु.पेंशन (SC)	9000
23	जिला पदा. किशनगंज	121/23.03.13	तथैव (SC)	10000
24	तथैव	120/23.03.13	इं.गां.रा.निःशक्तता पेंशन (SC)	32000
25	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, किशनगंज	393/29.09.12	बिहार निःशक्तता पेंशन (GEN)	18000
26	तथैव	392/29.09.12	तथैव (SC)	9000
			कुल	3847200.00

SP
AAO

परिशिष्ट - VI

वसूली गई राशि कम / नहीं जमा

(प्रतिवेदन की कंडिका -15 से संबंधित)

क्रम सं०	रसीद सं०	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	कम/नहीं जमा की राशि	अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि	अवशेष राशि	संग्रहकर्ता का नाम
01.	4258.	150 : w	120 : w	30 : w			श्री हीरालाल राम.
02.	1888 से 1898	12,910 : w	—	12,910 : w	55314. : w	80451 : w	
03.	1900	1480 : w	—	1480 : w			
04.	5151 से 5198.	55527 : w	—	55,527 : w			
05.	5051 से 5100	65,818 : w	—	65,818 : w			
	कुल	1,35885 : w	120 : w	1,35,765 : w			
06.	4501 - 4600	41840 : w					
07.	3201 - 3300	61711 : w					
08.	1901 - 2000	42991 : w	1,68,980 : w	1,42,889 : w	—	1,42,889.	मो० इम्तेहार आलम.
	2101 - 2200	66711 : w					
09.	201 - 250	18,814 : w					
10.	301 - 350	23,334 : w					
11.	5101 - 5150	51,468 : w					
		3,06869 : w	1,68,980 : w	1,42,889 : w			

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	751 से 760	16,611=00	—	16,611=00			
13.	770 से 800	18,276=00	—	18,276=00			
14.	3801 से 3818	7,850=00	—	7,850=00	—	68,060.	मो० नईम अख्तर कर दरोगा.
15.	3819 से 3884.	31,323=00	—	31,323=00			
		68,060=00	—	68,060=00			
16.	5221 से 5250.	28,541=00	[illegible]	28,541=00	31,241=00	—	मो० ताहिर.
17.	2549.	5200	2500	2700=00			
	कुल.	33741=00	2500=00	31,241=00	86555	291400	
	कुल योग	544555	166600	377955			

रामकिशोर
कन्टेम्पर

परिशिष्ट - VII

(प्रतिवेदन की कंडिका 16 से संबंधित)

विलम्ब शुल्क वसूली नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

क्रम सं०	रसीद सं०	वार्ड नं०	बकाया अवधि	पिछला बकाया राशि	वसूली की तिथि	विलंबित माह तथा 2% प्रतिमाह की दर से सूद %	सूद की राशि
01.	754.	07.	2005-06 से 2008-09 तक	2016:00	01.03.11.	23 माह × 2% = 46%	927:00
02.	760	08.	2008-09 से 2009-10 तक.	2,340:00	01.04.11.	24 माह × 2% = 48%	1123:00
03.	2007.	08.	2008-09 से 2010-11 तक.	15,000:00	21.04.12.	36 माह × 2% = 72%	10,800:00
04.	2088.	08.	2005-06 से 2010-11 तक.	6,600:00	06.06.12.	38 माह × 2% = 76%	5,016:00
05.	2075.	07.	2007-08 से 2010-11 तक	1920:00	10.11.12.	42 माह × 2% = 84%	1613:00
06.	2294.	08.	2005-06 से 2010-11 तक	31,680:00	21.04.12.	36 माह × 2% = 72%	22,810:00
07.	2549,	08.	2006-07 से 2010-11 तक	4400:00	12.04.12.	36 माह × 2% = 72%	3,168:00
08.	2558.	06.	2008-09 से 2010-11 तक	3240:00	13.04.12	36 माह 2% = 72%	2333:00
09.	2587.	07.	2009-10 से 2010-11 तक	2008:00	17.04.12.	36 माह × 2% = 72%	1441:00
10.	2801.	08.	2005-06 से 2008-09 तक	3584:00	05.07.10.	14 माह × 2% = 28%	1004:00
11.	2808.	08.	2005-06 से 2006-07 तक.	1920:00	08.07.10	14 माह × 2% = 28%	538:00
12.	2839	08.	2005-06 से 2007-08 तक	2232:00	25.10.10.	18 माह × 2% = 36%	804:00
13.	2888.	07.	2005-06 से 2007-08 तक	2748:00	11.02.11.	22 माह × 2% = 44%	1209:00
14.	2889.	07.	2005-06 से 2007-08 तक.	8448:00	11.02.11.	22 माह × 2% = 44%	3717:00
15.	3314.	08.	2005-06 से 2009-10 तक	2250:00	11.12.11.	32 माह × 2% = 64%	1440:00
16.	3321	05.	2005-06 से 2009-10 तक	4500:00	22.12.11.	32 माह × 2% = 64%	2880:00
17.	3330	08.	2005-06 से 2009-10 तक	20500:00	27.12.11.	32 माह × 2% = 64%	13,120:00
18.	3346	07.	2005-06 से 2009-10 तक	2400:00	09.04.12.	33 माह × 2% = 66%	1584:00

P.T.O.

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	3359.	07.	2008-09 से 2009-10 तक.	2784:00	02.02.12.	34माह×2% = 68%	= 1893:00
20.	3371.	07.	2007-08 से 2009-10 तक.	3246:00	16.02.12.	34माह×2% = 68%	= 2207:00
21.	3823	08.	2005-06 से 2009-10 तक	2000:00	07.09.11.	29माह×2% = 58%	= 1160:00
22.	3888.	08.	2006-07 से 2009-10 तक.	7,200:00	29.11.11.	30माह×2% = 60%	~~1160:00~~ 4320=00
23.	3889.	07.	2006-07 से 2009-10 तक	7680:00	29.11.11.	30माह×2% = 60%	= 4608:00
24.	5053.	07.	2010-11	2400:00	01.02.13.	23माह×2% = 46%	= 1104:00
25.	5040.	08.	2005-06 से 2008-09 तक.	5120:00	09.02.13.	45माह×2% = 90%	= 4,608:00
26.	5046.	08.	2005-06 से 2007-08 तक.	3600:00	16.02.13.	45माह×2% = 90%	= 3,240:00
27.	5209.	07.	2005-06 से 2010-11 तक	7200:00	06.03.13.	23माह×2% = 46%	= 3312:00
28.	5213.	08.	2005-06 से 2010-11 तक	5376:00	07.02.13.	21माह×2% = 42%	= 2258:00
29.	5215.	04.	2007-08 से 2010-11 तक	3840:00	09.03.13.	23माह×2% = 46%	= 1766:00
30.	5217	08.	2005-06 से 2010-11 तक	5376:00	09.03.13.	23माह×2% = 46%	= 2473:00
31.	5227.	08.	2005-06 से 2010-11 तक.	5375:00	21.03.13.	23माह×2% = 46%	= 2472:00
32.	5070	11.	2005-06 से 2006-07 तक	8352:00	30.12.12.	44माह×2% = 88%	= 7350:00
33.	5092	09.	2009 से 10 तक	3240:00	04.02.13	46माह×2% = 92%	2980:00
34.	5093.	11.	2005-06 से 2010-11 तक.	4320:00	05.02.13.	46माह×2 = 92%	3974:00
35.	5227.	08.	2006-07 से 2008-08 तक	5024:00	30.07.10	15माह×2 = 30%	= 1507:00

P.T.O.

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	5156.	11.	09-10 से 11-12 तक.	3200=00	20.02.10.	10माह×2%=20%.	640=00
37.	5163	08.	05-06 से 08-09 तक	4480:00	23.02.13.	46 माह×2; 92%,	4121:00
38.	2435.	10	08.09 से 09-10 तक	2120:00	17.04.12.	36माह×2 :72%.	1526:00
39.	2808.	10.	08-09 से 09-10 तक	7488 :00	21.04.12.	36 माह ×2%:72%,	5391:00
40.	4570	15.	2005 से 06.	4000 :00	20.08.10.	16माह×2% :32%.	1280:00
41.	5116	15	2005-06 से 2010-11 तक	4536:00	20.01.13.	21माह×2% :42%	1905:00
42.	5133.	15.	08-09 से 09-10 तक	4720:00	13.02.13.	34माह×2 68% :	3209.

कुल :- 1,44,831:00

रामकिशोर
अध्यक्ष

परिशिष्ट - [illegible]

दैनिक मजदूरों पर भुगतान

(प्रतिवेदन की कंडिका - 2021 संदर्भित)

क्र.सं.	वाउचर सं.	तिथि	राशि (रु)
1	09	17.05.10	3666
2	10	17.05.10	3666
3	11 से 13	18.05.10	48950
4	18	9.06.10	15810
5	23	9.06.10	3666
6	25	7.7.10	14280
7	27	7.7.10	3666
8	42	17.08.10	19890
9	51	17.08.10	3666
10	77	7.09.10	3666
11	79	7.09.10	18462
12	115	7.10.10	3666
13	117	7.10.10	15810
14	121	01.12.10	3666
15	123	1.12.10	20910
16	124	1.12.10	2506
17	126	7.01.11	7332
18	138 व 139	7.1.11	66695
19	156	23.02.11	18464
20	157	23.02.11	3666
21	01	7.04.11	7332
22	02	7.04.11	15912
23	03	7.04.11	15300
24	19	29.06.11	7332
25	20	29.06.11	16218
26	21	24.06.11	18258
27	29	5.8.11	7332
28	32	25.08.11	3666
29	79, 80, 81	30.09.11	47328
30	82, 83, 86, 87	4.11.11	44523
31	90, 91	9.12.11	20253
32	104 व 105	25.02.12	31824
33	111 से 116	29.02.12	15900
34	13 से 16	28.05.12	14664
35	48, 49	14.09.12	44980
36	126, 127 व 128	12.02.13	65364
37	131 से 137	01.03.13	11676
38	145	23.03.13	29406
		कुल	6,93,815

AAO

परिशिष्ट – IX

पूर्व की योजनाओं में अभिकर्ताओं को पूर्व अग्रिम के समायोजन नहीं करने का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	योजना सं.	मद	प्राक्कलित कार्य राशि	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण की तिथि	अभिकर्ता का नाम व पता	दी गई अग्रिम	अग्रिम के विरुद्ध पुस्तिका का कार्य मूल्य	अभिकर्ता की राशि	अभिकर्ता/पार्टी पुस्तिका में जो राशि कम है उसके समायोजन के पश्चात बकाया अग्रिम	आपत्ति
1	14/06-07	12 MFC	33700	10.04.06	अंकित नहीं	—	शाहाब अनवर, क. अभि.	27500	पारित नहीं	नहीं	27500	पूर्व अभिमत
02	01/07-08	12 MFC	35000	अंकित नहीं	अंकित नहीं	—	तारकेश्वर प्रसाद, पेपरमेक	32500	34950	34950	—	पारित नहीं
03	02/07-08	12 MFC	46300	अंकित नहीं	अंकित नहीं	—	मो. खलील, पं.अ.	42500	25925	23997	18503	पूर्व
04	03/07-08	12 MFC	76600	अंकित नहीं	अंकित नहीं	—	तत्रैव	67500	76299	76299	—	पूर्व अभिमत पारित नहीं
05	04/07-08	12 MFC	56500	〃	〃	—	तत्रैव	52500	53437	53457	—	पूर्व अभिमत पारित नहीं
06	05/07-08	12 MFC	50300	〃	〃	—	तत्रैव	47500	49806	48854	—	पूर्व अभिमत पारित नहीं
07	06/07-08	12 MFC	71600	〃	〃	—	प्रीतारकेश्वर प्रसाद, पं.अ.	72500	76207	76269	—	
08	07/07-08	12 MFC	76600	〃	〃	—	〃	57500	नहीं	नहीं	57500	
09	08/07-08	12 MFC	61400	〃	〃	—	〃	57500	नहीं	नहीं	57500	
10	09/07-08	12 MFC	246900	〃	〃	—	मो. खलील, पं.अ.	207500	219961	219961	—	अभिमत पारित नहीं
11	02/98-99	SJSRY	191400				कुमार नीलानन्द सिंह (अभ. नागरिक)	163562 17050	163562 176666	176666	6938	अभिमत पारित नहीं
12	05/98-99	SJSRY	—	—	—	—	—	12000	—	—	—	संचिका अप्राप्त
13	07/99-2000	SJSRY	79000	9.7.99	12.08.99	—	नजीरुल इस्लाम (अभ. नागरिक)	77000	70547	नहीं	6453	—
14	05/01-02	SJSRY	89000	अंकित नहीं	अंकित नहीं		[illegible] (अभ. नागरिक)	67000	नहीं	नहीं	67000	—
15	01/04-05	SJSRY	35500	अंकित नहीं	12.11.04	—	शाहाब अनवर, क. अभि.	20000	नहीं	नहीं	20000	—
16	02/06-07	SJSRY	—	—	—	—	—	37500	—	—	—	संचिका अप्राप्त
17	09/06-07	SJSRY	37000	अंकित नहीं	9.02.07	—	मो. खलील, पं.अ.	32500	37000	37015	—	पारित नहीं
18	10/06-07	SJSRY	19700	नहीं	नहीं	—	तत्रैव	17000	19176	20659	—	पारित नहीं
19	12/06-07	SJSRY	—	—	—	—	—	27500	—	—	—	संचिका अप्राप्त
20	01/07-08	SJSRY	83600				तारकेश्वर प्रसाद, पं.अ.	77500	83295	83343	—	पारित नहीं

APO

21	04/03-04	11 th FC	153000	24.10.03	31.12.03	—	—	शाहिद अलवर, कुर्बान.	137500	मौजूद नहीं	नहीं	137500	अमुक्त
22	14/03-04	11 th FC	400000	29.02.04	27.03.04	—	—	तत्रैव	357500	मौजूद नहीं	नहीं	357500	अमुक्त
23	18/03-04	11 th FC	750000	16.02.04	फरवरी-04	—	—	तत्रैव	360000	मौजूद नहीं	नहीं	360000	अमुक्त
24	19/02-03	NSDP	11600	18.02.03	—	—	—	तत्रैव	8500	मौजूद नहीं	नहीं	8500	अमुक्त
25	01/03-04	NSDP	158000	03.09.13	—	—	—	तत्रैव	142500	मौजूद नहीं	नहीं	142500	अमुक्त
26	16/03-04	NSDP	19000	15.01.04	—	—	—	तत्रैव	16500	मौजूद नहीं	नहीं	16500	अमुक्त
27	04/06-07	विविधमद	50200	15.12.06	—	—	—	मो. खलील, पं. मे.	47500	49550	49560	—	अभिलेख पाया नहीं
28	05/06-07	विविधमद	43000	15.12.06	—	—	—	तत्रैव	37500	मौजूद नहीं	नहीं	37500	अमुक्त
29	06/06-07	विविधमद	50300	10.01.07	9.02.07	—	—	तत्रैव	47500	50093	50140	—	अभिलेख पाया नहीं
30	08/06-07	विविधमद	35000	15.01.07	—	—	—	तत्रैव	27500	34896	38120	—	तत्रैव
31	09/06-07	विविधमद	49500	10.12.06	—	—	—	तत्रैव	42500	48722	48745	—	तत्रैव
32	10/06-07	विविधमद	50300	10.12.06	—	—	—	तत्रैव	42500 ~~509~~	50300	50350	—	—
33	01/07-08	विविधमद	84600	—	—	—	—	तत्रैव	7500	मौजूद नहीं	नहीं	7500	—
								कुल	2478500	1143726	1088385	1328894	

Sd/-
AAO

SKV/34

परिशिष्ट - Y

संवेदक द्वारा किये गये कार्य में आयकर तथा सुरक्षित जमा राशि कटौती ~~का विवरणी~~ नहीं करने का विवरणी
(प्रतिवेदन की कंडिका - 25 में उल्लिखित)

क्र०	योजना सं०	मद	प्रा० राशि Rs.	भुगतान की गई राशि Rs.	2.266% आयकर राशि Rs.	5% SD राशि Rs.
1.	2/2010-11	BRGF	32,80,300.00	32,57,077.00 ~~32,80,300.00~~	73805.00 ~~74332.00~~	1,62,854.00 ~~1,64,015.00~~
2.	1/2012-13	BRGF	16,64,914.00 ~~14,13,288.00~~	14,13,288.00	32025.00	70664.00
3.	2/2012-13	BRGF	17,86,952.00	15,18,341.00	34406.00	75,917.00
4.	3/2012-13	BRGF	6,53,589.00	6,19,422.00	14036.00	30971.00
5.	1/2011-12	XIIth FC	1,52,700.00	1,51,300.00	3428.00	7565.00
6.	2/2011-12	XIIth FC	1,52,500.00	1,28,300.00	2907.00	6415.00
7.	3/2011-12	XIIth FC	1,48,455.00	1,36,155.00	3085.00	6808.00
8.	4/2011-12	XIIth FC	1,31,050.00	1,28,300.00	2907.00	6415.00
9.	5/2011-12	"	1,50,488.00	1,45,964.00	3308.00	7298.00
10.	6/2011-12	"	1,56,500.00	1,48,675.00	3369.00	7434.00
11.	7/2011-12	"	1,49,967.00	1,45,400.00	3295.00	7270.00
12.	8/2011-12	"	1,48,100.00	1,42,600.00	3231.00	7130.00
13.	9/2011-12	"	1,49,000.00	1,44,500.00	3274.00	7225.00
14.	10/2011-12	"	1,48,464.00	1,43,800.00	3259.00	7190.00
15.	11/2011-12	"	1,54,900.00	1,42,500.00	3229.00	7125.00
16.	12/2011-12	"	1,62,100.00	1,53,900.00	3487.00	7695.00
17.	13/2011-12	"	1,44,200.00	1,26,895.00	2875.00	6345.00
18.	14/2011-12	"	1,63,100.00	1,37,830.00	3123.00	6892.00
19.	15/2011-12	"	1,50,000.00	1,27,500.00	2889.00	6375.00
20.	1/08-09	XIIth वर्षा पंचायत निधि	45,28,282.00	43,91,648.00	99515.00	2,19,582.00
21.	1/10-11	सहायक अनुदान	13,11,200.00	11,52,453.00	26115.00	57623.00
				Rs.	3,28,095.00	7,23,954.00
					(-) 527.00	(-) 1161.00
					3,27,568.00	7,22,793.00

SrAO

परिशिष्ट - XI

RRK/29

परिशिष्ट

एम0 तथा एन0 फार्म जमा किये बिना सामग्री ढुलाई का अनियमित भुगतान

(कंडिका संख्या 2.7.2.6 पर)

क्र० सं०	निधि का नाम	योजना संख्या	सामग्री का नाम	ढुलाई खर्च	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
01.	B.R.G.F.	02/10-11.	G.S.B - 655.50 m³ @ 1894.37/m³ Bricks - 22880 @ 420.45 %	1241750 96208	
			S/C. - 336.79 m³ @ 1585.60/m³	534014	
			O/S - 328.64 m³ @ 940/m³.	308921	
02	B.R.G.F.	02/12-13.	G.S.B. - 346.89 m³ S/C. - 180.71 m³	6,57,138 2,86,534	
			O/S - 90.035 m³	84,633.	
			Bricks - 8789.	3695.	
03	B.R.G.F.	01/12-13.	G.S.B. 141.474 m³ O/S - 157.22 m³	2,68,004 147,787.	
			S/C - 314.44. m³	4,98,576.	
			Brick. 9134.	3840.	
			₹.	40,44,522.	

Rakesh Kumar

SKV/31

क्रम सं0	निधि का नाम	योजना सं0	सामाग्री का नाम	ढूलाई खर्च	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5 Rs.	6
1.	BRGF	03/2012-13	गिट्टी – 82.23 m^3 @ 2644.66/ m^3 बिजुलबालू – 41.615 m^3 @ 748.87/ m^3 G.S.B – 79.32 m^3 @ 819.41/ m^3	2,20,118.00 31,164.00 64,996.00	
2.	महाकुम्भ अनुदान	1/10-11	Bricks – 26065 No @ 758.40% +फूलबालू – 90.21 m^3 @ 909.30/ m^3 गिट्टी – 130.28 m^3 @ 1166.80/ m^3 Metal grade II – 24.55 m^3 @ 1166.80/ m^3 Stone dust – 5.60 m^3 @ 970.40/ m^3 GSB – 103.37 m^3 @ 870.40/ m^3	19767.00 82027.00 1,52,010.00 28,645.00 5434.00 1,00,310.00	
3. 4 5	XII th FC	1/2011-12 2/2011-12 3/2011-12	Bricks – 14425 No @ 446.30% Bricks – 17931 No @ 446.30% गिट्टी – 19.18 m^3 @ 2644.66/ m^3 +फूलबालू – 9.59 m^3 @ 748.87/ m^3 Brick – 2152 No @ 446.30%	6433.00 8003.00 50725.00 7182.00 960.00	
6. 7.	XIII th FC	4/2011-12 5/2011-12	गिट्टी – 13.922 m^3 @ 2644.66/ m^3 +फूलबालू – 6.96 m^3 @ 748.87/ m^3 Bricks – 5500 No @ 446.30% गिट्टी – 20.429 m^3 @ 2644.66/ m^3 +फूलबालू – 10.214 m^3 @ 748.87/ m^3 Brick – 1494 No @ 446.30/ m^3	36819.00 5212.00 2464.00 54028.00 7649.00 667.00	

Total – [8,58,833.00]

8,84,613

102

क्रम सं0	निधि का नाम	योजना सं0	सामाग्री का नाम	ढूलाई खर्च Bf- 8,58,833.00	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
8.	XIIIth FC	6/11-12	Bricks - 18000 No @ 446.30 %	8033.00	
9.		7/11-12	Bricks - 17648 No @ 446.30 %	7876.00	
10.		8/11-12	मिट्टी - 21.942 m^3 @ 2644.66/m^3 +बालू - 10.971 m^3 @ 748.87/m^3	58029.00 8216.00	
11.		9/11-12	Bricks - 18014 No @ 446.30 %	8040.00	
12.		10/11-12	Bricks - 18233 No @ 446.30 %	8137.00	
13.		11/11-12	मिट्टी - 20.946 m^3 @ 2644.66/m^3 +बालू - 10.498 m^3 @ 748.87/m^3 Brick - 1536 No @ 446.30 %	55,527.00 7862.00 686.00	
14.		12/11-12	मिट्टी - 15.889 m^3 @ 2644.66/m^3 +बालू - 7.944 m^3 @ 748.87/m^3 Bricks - 6300 No @ 446.30 %	42021.00 5949.00 2812.00	
15.		13/11-12	Bricks - 16638 No @ 446.30 %	7425.00	
16.		14/11-12	मिट्टी - 16.141 m^3 @ 2644.66/m^3 +बालू - 8.070 m^3 @ 748.87/m^3 Bricks - 4203 No @ 446.30 %	42687.00 6043.00 1876.00	
17.		15/11-12	Bricks - 18129 No @ 446.30 %	8091.00	

प्रोग्रेस - 279310
[Total :- Rs. 11,38,143.00]
कुल योग - 1168923

Rack/21

परिशिष्ट – XII

विलंब से कार्य पूर्ण होने पर क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती नहीं करने का विस्तृत विवरण।

(कंडिका संख्या 28/27 पर)

क्र० सं०	निधि का नाम	योजना संख्या	प्राक्कलित राशि	कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्ण होना था	कार्य पूर्ण हुआ था	विलंब दिवस	क्षतिपूर्ति शुल्क की राशि (अधितक प्रा०राशि का 10 प्रतिशत)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	B.R.G.F.	02/10-11.	32,80,300	01.03.11	3 माह.	15.03.12	257 दि.	3,28,030 (10%)	श्री रियाज अहमद.
02	"	02/12-13	17,86,952.	20.10.12.	3 माह	12.01.13	—	—	—
							~~कुल 2~~	~~3,28,030~~	
03	महात्मा अनुष्ठान	01/10-11	13,11,200	25.06.10	3 माह	30.03.11	185 दिन	1,31,120	
							कुल	4,59,150	

Abhishek Kumar

परिशिष्ट - XIII (क)

ग्राम पंचायत की कटौती / कटौती नहीं की गई राशि की विवरणी

(प्रतिवेदन की कंडिका - 29 में संदर्भित)

क्रमांक	योजना सं.	माह	भुगतान की गई राशि	कटौती की गई राशि	कटौती नहीं की गई राशि, प्रमाण नहीं
1	01/08-09	12 वाँ FC पंचायत निधि	439148	—	43916
2	01/10-11	12 वाँ अनुदान	1152453	—	11525
3	02/11-12	12 वाँ FC	128300	1401	—
4	01/11-12	"	151300	825	—
5	03/11-12	"	136155	610	—
6	02/12-13	BRGF	1518341	7478	—
7	02/12-13	"	1413288	7719	—
8	03/12-13	"	619422	3291	—
9	04/11-12	13 वाँ FC	128300	812	—
10	05/11-12	"	145964	645	—
11	06/11-12	"	148675	1088	—
12	07/11-12	"	145400	1044	—
13	08/11-12	"	142600	748	—
14	09/11-12	"	144500	991	—
15	10/11-12	"	143800	1008	—
16	11/11-12	"	142500	784	—
17	12/11-12	"	153900	901	—
18	13/11-12	"	126895	1008	—
19	14/11-12	"	137830	555	—
20	15/11-12	"	127500	978	—
21	02/10-11	BRGF	—	31861	—
			कुल	63752	55441

AAO

परिशिष्ट - XIII (ख)

श्रम ब्यूरो की कम कर्मचारी की विवरणी
(प्रतिवेदन की कंडिका-[illegible] से संबंधित)
29

क्रमांक	योजनाएं	माह	मुआवजा की राशि	कर्मचारी ग्राम	कर्मचारी की राशि	कम कर्मचारी
1	1/11-12	12th FC	151300	1513	825	688
2	3/11-12	"	136155	1361	610	851
3	2/12-13	BRGF	1518341	15183	7478	7705
4	1/12-13	"	1413288	14133	7719	6414
5	3/12-13	"	619422	6194	3291	2903
6	4/11-12	13th FC	128300	1283	812	471
7	5/11-12	"	145964	1460	645	815
8	6/11-12	"	148675	1487	1088	399
9	7/11-12	"	145410	1454	1044	410
10	8/11-12	"	142600	1426	748	678
11	9/11-12	"	144500	1445	996	449
12	10/11-12	"	143800	1438	1008	430
13	11/11-12	"	142500	1425	784	641
14	12/11-12	"	153900	~~1269~~ 1539	901	638
15	13/11-12	"	126895	~~1378~~ 1269	1008	261
16	14/11-12	"	137830	~~1275~~ 1378	555	823
17	15/11-12	"	127500	1275	978	297
					कुल	24873

परिशिष्ट - IV

कटौती की गई राशि की विवरणी
(प्रतिवेदन की कंडिका-(3.5) में संदर्भित)
30

क्रम सं.	योजना सं.	मद	भुगतान की गई राशि (रु)	राशि की कटौती (रु)
1	02/11-12	12 th FC	128300	2310
2	01/11-12	"	151300	2064
3	03/11-12	"	136155	1347
4	1/12-13	BRGF	1413288	17833
5	02/12-13	"	15,18,341	19237
6	03/12-13	"	6,19422	8416
7	04/11-12	13 th FC	128300	1630
8	05/11-12	"	145964	1378
9	06/11-12	"	148675	2319
10	07/11-12	"	145400	2257
11	08/11-12	"	142600	1998
12	09/11-12	"	144500	2305
13	10/11-12	"	143800	2335
14	11/11-12	"	142500	1945
15	12/11-12	"	153900	1860
16	13/11-12	"	126895	2143
17	14/11-12	"	137830	1816
18	15/11-12	"	127500	3025
19	02/10-11	"	—	34459
			कुल	109627

AAO

परिशिष्ट - XV

लेखा परीक्षा परिणाम

(प्रतिवेदन की कंडिका सं. - 34 से संबंधित)

क्र.सं.	कंडिका संख्या	वसूली हेतु अनुशंसित राशि	आपत्ति के अधीन रखी गई राशि	अंकेक्षण के दौरान वसूल कराई गई राशि
1	11	—	1,87,864	—
2	15	2,91,400	—	86,555
3	16	144831	—	—
4	18	1,19,805	—	—
5	19	3,66,000	3,00,178	—
6	20	—	6,93,815	—
7	21	—	98410	—
8	22	750	—	—
9	24	15,57,034	—	—
10	25	3,27,568	—	—
11	26	67,390	18,00,000	—
12	27	—	51,82,665	—
13	28	4,59,150	—	—
14	29	—	28,65,000	—
15	30	80314	—	—
	कुल	34,14,242	1,26,27,932	86,555

Sd

परिशिष्ट– XV

लेखापरीक्षा के परिणाम

(प्रतिवेदन की कंडिका 33 के संदर्भ में)

क्र0सं0	कंडिका सं0	वसूली हेतु सुझाई गई राशि	आपत्ति के अधीन रखी गई राशि	अंकेक्षण के दौरान वसूल कराई गई राशि
1	11	–	1687864.00	–
2	15	291400.00	–	86555.00
3	16	144831.00	–	–
4	18	119806.00	–	–
5	19	366000.00	300178.00	–
6	20	–	693815.00	–
7	21	750.00	–	–
8	24	327568.00	–	–
9	25	67390.00	1800000.00	–
10	26	–	5208445.00	–
11	27	459150.00	–	–
12	29	80314.00	–	–
	कुल	**1857209.00**	**9690302.00**	**86555.00**